खण्ड-384, अंक-8
बुधवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(2 मार्च, 1988 ई0)

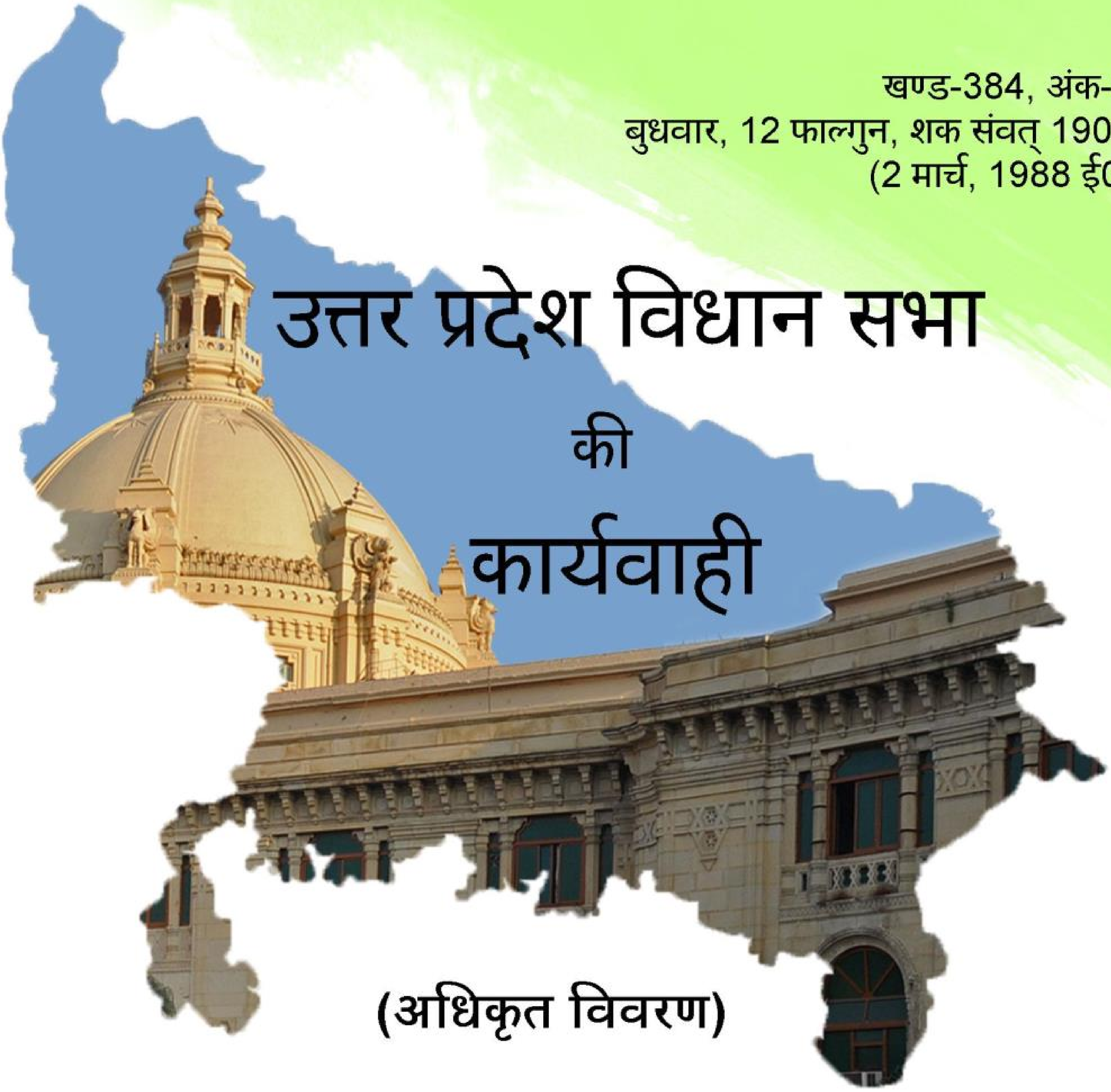

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
नियमों को निलम्बित करके श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना को सर्व प्रथम लिए जाने की मांग	1–5
प्रश्नोत्तर	5–41
आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद में टोंस नदी पर लगा बैरियर तथा पथ-कर वसूली समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	41–42
जनपद लखनऊ के नयागांव (अमीनाबाद) स्थित तेजाब के कारखाने को हटाने एवं मालिक को दंडित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सचिवालय में सम्बद्ध किए जाने से फील्ड स्तर पर जन कल्याण की योजनाओं पर कुठाराघात के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के जी0पी0एफ0 में हेरा-फेरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद उन्नाव की ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यों में घोटाला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
आगरा जनपद के खदौली स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
बस्ती जनपद में पुलिस विभाग की सांठ-गांठ से तस्करों द्वारा विदेशी सामानों की बिक्री आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	45
"श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक की गयी कार्य-स्थगन की सूचना" की चर्चा के समय मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	45–48
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	48
नत्थियां	49–50

प्रवर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
उमेश्र प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
ओमप्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
गौरी शंकर, श्री	इटावा	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	शूर वीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र सिंह कुंवर	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
प्रभु दयाल, प्रधान	मेरठ	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
फजले मसूद, श्री	देवरिया	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
बद्री सिंह, श्री	जालौन	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
रणजीत, श्री	देवरिया	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियमों को निलम्बित करके श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक दी गई कार्य स्थगन की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, नियम 311 के अंतर्गत नियमों के निलम्बन की मांग करता हूं

श्री अध्यक्ष–

"नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1"

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं नियमों के निलम्बन की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह मुनासिब नहीं है । आप बैठें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्नों का समय है । प्रश्नों के बाद आप अपनी बात रखें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

लेकिन मान्यवर, यह इतना गम्भीर मामला है ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, यह विषय नियमों के निलम्बन के माध्यम से कल भी उठाया गया था और विशेष रूप से अनुरोध किया था विरोध पक्ष के सभी नेताओं ने सभी माननीय सदस्यों ने कि इस सदन की कार्यवाही तभी चले जब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हों । इस विषय की गम्भीरता से उनको परिचित भी करा दिया गया । वह कल यहां आये, उनको जानकारी भी हो गयी, फिर भी उनके सदन में न आने के कारण पूरे दिन सदन नहीं चल सका । माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि बगैर उस गम्भीर विषय को उनके समक्ष लाये हुए सदन नहीं चल सकता, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद नहीं हैं । यह सरासर आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया जा रहा है और सारे प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है । इस हठधर्मी के विरुद्ध मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा नेता, लोकदल (ब) ने कहा है, मैं भी उस पर बल देता हूं कि नियमों का निलम्बन करें और पहले इस विषय पर चर्चा करायी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं नियम 110 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्नों के समय नहीं सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम 110 में बिना किसी सूचना के कोई भी प्रस्ताव लाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बाद आपकी बात सुनूंगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े रहने पर)

जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जायं । कल आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने प्रश्नों को निलम्बित कर दिया था। आपकी भावनाओं को देखते हुए जो दुखद घटना हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कल प्रश्नों को निलम्बित कर दिया था।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि यह प्रश्नों के बाद आप अपनी बात रखें। सारे प्रश्न क्वेश्चन विपक्ष के सदस्यों के ही हैं और सारा विपक्ष खड़ा होकर आपसे कह रहा है कि नियमों को निलम्बित करके क्वेश्चन आवर को समाप्त किया जाय और इसमें क्वेश्चन न चलाये जायं। फिर भी क्यों नहीं आप हमारी बात को सुन रहे हैं? क्वेश्चन तो हमारे ही हैं और हम ही कह रहे हैं कि नियमों को निलम्बित करके क्वेश्चन इस समय न लिया जाय और आप प्रश्न-काल को समाप्त कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मेरी बात को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे अपनी बात कह दूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, आप क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था की बात नहीं होती है । मैं प्रश्नकाल के बाद ही आपकी व्यवस्था की बात को सुनूंगा, प्रश्नकाल के समय नहीं सुनूंगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपका ध्यान नियम 110 (6) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । नियम 110 (6) में लिखा हुआ है कि बिना सूचना के प्रस्ताव-निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, जिसकी मैं आपसे अनुज्ञा ले रहा हूं, बिना सूचना के किये जा सकेंगे । इस नियम में यह लिखा हुआ है नियम 110 (6) में कि किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, तो इस समय कार्य सूची के अनुसार जो कार्यक्रम चल रहा है इसको स्थगित करने के लिये जो बात मा0 मुलायम सिंह जी ने कही है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपको नियम 110 (6) का हवाला देते हुए, जो कि इस प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में लिखा हुआ है, बल देता हूं । इसके पूर्व भी अनेक अवसरों पर इस नियम के अंतर्गत नियम निलम्बित हुए हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस नियम में जो लिखा हुआ है उसके तहत आज सदन में प्रश्न-काल को स्थगित करते हुए माननीय सदस्यों की बात को आप सुन लें । यह बात क्यों कही जा रही है ? क्योंकि एक अभूतपूर्व और दर्दनाक घटना जो हुई है और माननीय मुख्य मंत्री आज भी सदन में नहीं हैं ।

विपक्ष की मांग है कि मुख्य मंत्री को सदन में आना चाहिये क्योंकि मुख्य मंत्री पर हत्या का आरोप है । आज सुबह हम लोग राज्यपाल से मिल कर यह सिफारिश करने गये थे कि मुख्य मंत्री को बरखास्त किया जाय । चूंकि आज भी मुख्य मंत्री सदन में नहीं आये हैं, सदन की कार्यवाही कैसे आगे चल सकती है ? मुख्य मंत्री सदन में आ नहीं रहे हैं, हम लोग उनको सुनना चाहते हैं क्योंकि उनकी साजिश पर पुलिस ने ऐसी निर्मम घटना की है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

यह बात कि किसी की साजिश है या जानबूझ कर यह बात की गयी है, यह बात सही नहीं है । मुख्य मंत्री जी आवश्यक बैठक में भाग लेने के लिये दिल्ली में हैं । एक दुखद घटना हुई, उसके संबंध में कल सदन को पूरा दिन स्थगित रखा गया, सदन में कल कोई चर्चा नहीं हुई, उसके लिये आज भी सदन में प्रश्न का आप स्थगन कर दें, यह उचित नहीं है । इसलिये मान्यवर, जो प्रश्नों का समय है उसमें प्रश्न पूछे जायं, उसके बाद जीरो आवर में यह बात उठायी जाय और जो आरोप माननीय मुख्य मंत्री पर लगाया गया है, उसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर नारे लगाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, किस अधिकार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हो गये ? मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा था क्योंकि आपने मुझे बुलाया था उसके बीच में संसदीय कार्य मंत्री किस नियम के अंतर्गत खड़े हो गये बोलने के लिये ?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनको अनुमति दी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर,

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है ?

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मामला बहुत गम्भीर है और आप देख रहे हैं कि जो नियमों के निलम्बन करने का प्रस्ताव आया उस पर हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने भी पूर्णतया समर्थन दिया है । सरकारी पक्ष का इस ओर किसी प्रकार का कल विरोध नहीं हुआ, इससे यह बात साबित होती है कि सभी पक्ष इस दर्दनाक घटना से दुखी हैं, उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और जब कल मा0 कल्यान सिंह जी ने जो आपत्ति उठायी वह औचित्य पूर्ण है उस समय मा0 मुख्य मंत्री जी को और मा0 गृह मंत्री जी को यहां रहना चाहिए था । यदि माननीय मुख्य मंत्री जी को जाना ही था तो वे 5 मिनट के लिए ही यहां आते और सदन से इसकी अनुज्ञा लेकर भी जा सकते थे, सदन उनको इसकी इजाजत दे ही देता क्योंकि बहुमत उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लगभग सवा 12 बजे वह यहां से चले गये । इससे यह बात सिद्ध होती है कि उन्होंने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया, और इसी वजह से आज भी वह नहीं आए । इसकी सूचना मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को यहां आते ही देनी चाहिए थी कि मा0 मुख्य मंत्री जी आज भी किन्ही कारणों से नहीं आ सके, यह सूचना न देकर बल्कि किताबों का एक बंडल साथ लाए हैं । इन सारे तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष इस मामले में अब गम्भीर नहीं है ।

इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियम 62 पढ़ लीजिए । मैंने इसके बारे में आज से 20 साल पहले ही कहा था कि यदि गुंडा-गर्दी और बदमाश पुलिस बल पर प्रशासन चलाएंगे (व्यवधान) तो हिंसा के कारण जो हाल बंगाल और बिहार व अन्य प्रदेशों का हुआ है, वही हिंसा की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी अवश्य आयेगी आज हिंसक घटनाओं के कारणों से उत्पन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश धू-धू करके जल रहा है क्योंकि पुलिस व अन्य अंग बेलगाम हो चुके हैं और यदि ऐसे मामलों पर भी आप चर्चा नहीं कराएंगे तो यह कोई उचित निर्णय लेना नहीं कहा जायेगा अगर यहां भी उसी प्रकार से अपराधों पर पर्दा डालने की कोशिश की जायेगी तो जो बंगाल और बिहार में हुआ है, हो रहा है और ज्वाला भड़की है, वह ज्वाला यहा भी भड़क सकती है । इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो यहां भी इससे पहले ही इस सत्ता को ऐसे मामलों को गम्भीरता से लेना चाहिए,

---

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मा0 मुख्य मंत्री को बुलाया जाए यदि मा0 मुख्य मंत्री न हों तो इस समय आप नियमों को कल की भांति निलम्बित कर इस पर चर्चा कराइए, बजट तो पास हो ही जायेगा और यदि ऐसा मान्यवर आपने न किया तो यहां पर आगे कोई भी घटना घटेगी उसके जिम्मेदार आप होंगे और रहा बजट तो वह तो पास ही हो ही जायेगा और एक ही दिन में हो जायेगा, हमारे ही पक्ष के लोग आपकी इसमें पूरी-पूरी मदद करेंगे क्योंकि इससे पहले भी यही हुआ है कि जो बजट 24 दिन के अंदर पास होता उसे 17 दिन के अंदर ही पास करने का निश्चय किया गया है, तो इसकी चिन्ता तो आप न करें ।

चिन्ता का विषय इस समय क्या है, इसको देखकर काम करिए और मा0 अध्यक्ष जी आप अपने विवेक से काम लीजिए, किसी के दखलंदाजी और इशारों पर मत जाईए, जिस विवेक से कल आपने काम लिया है, उसी विवेक से आज भी काम लीजिए । (शोर) और इसको गम्भीरता से लीजिए, फिर जो समय बचेगा, बजट उसमें पास कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस मामले को लेकर आज नियमों का निलम्बन हुआ नहीं और लोगों के भाषण होने लगे, जबकि कल मैंने पूरा-पूरा मौका दिया था, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इस दर्दनाक घटना को देखते हुए । तो कल आपने कुछ किया नहीं और आज फिर सदन न चले तो यह गलत परम्परा पड़ जायेगी ।

(शोर व्यवधान के मध्य)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

मैंने नत्थी "क" के पहले प्रश्न को ले लिया है और श्री दीप चन्द्र सोनकर को बुला लिया है । माननीय आबकारी मंत्री . . .

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 1987-88 के बजट भाषण में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन व विभागीय कार्यवाही की सूचना

**1–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88 के बजट भाषण में कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ निलम्बन व विभागीय कार्यवाही की सूचना दी गई थी ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या उन अधिकारियों व कर्मचारियों का, पते सहित विवरण देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम द्वारा संचालित सिनेमा हालों का विवरण एवं निगम की वित्तीय स्थिति

**2—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ? प्रदेश में कुल कितने सिनेमा हाल निगम के चल रहे हैं ? निगम की वित्तीय स्थिति क्या है ? क्या चल चित्र निगम में निरन्तर बढ़ रहे घाटे के कारण निगम सिनेमा हालों को बेचने की कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान मंत्री (श्रीमती दीपा)—

उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड में रुपया 9.18 करोड़ की पूंजी विनियोजित है ।

प्रदेश में निगम के 33 छविगृह चल रहे हैं ।

विगत वित्तीय वर्ष 1986-87 की समाप्ति तक निगम की संचित हानि रुपया 4.77 करोड़ थी ।

जी हां ।

बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के तहत घाटा दे रहे छविगृहों को बेचने का प्रयास निगम द्वारा किया जा रहा है । छविगृहों का विक्रय निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरांत नियमानुसार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र में सिंचाई न होने पर रकबा कम करने की मांग

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप का सिंचित क्षेत्र ढाई सौ एकड़ रखा गया है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि नाली के अभाव में, विद्युत न उपलब्ध होने के कारण तथा नलकूप खराब रहने के कारण मात्र डेढ़ सौ एकड़ से कम की सिंचाई हो पाती है ? क्या ऐसी स्थिति में सिंचाई के रकबा को सरकार कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां ।

जी नहीं । निःसंदेह जिन नलकूपों पर पूर्ण वितरण प्रणाली का अभाव है एवं विद्युत कम उपलब्ध है, जो नलकूप खराब हैं उन पर सिंचाई कम होना स्वाभाविक है ।

(1) नाली का अभाव एक अस्थायी कारण है एवं धन उपलब्धता को देखते हुए प्रतिवर्ष नलकूपों पर जिन पर वितरण प्रणाली कम है, पूर्ण करायी जा रही है ।

(2) विद्युत उपलब्ध न होना भी अस्थायी कारण है एवं यदि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध होती है तो 250 एकड़ रकबा प्रति नलकूप का कमाण्ड क्षेत्र उचित है ।

(3) नलकूप खराब होने का कारण भी अस्थायी है, अतः इस कारण से प्रति नलकूप रकबा कम करने का औचित्य नहीं है ।

ताज ट्रेपोजियम, आगरा के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़े पन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि ताज ट्रेपोजियम के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है ? यदि हां, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार कौन-कौन सी औद्योगिक योजनायें इस क्षेत्र के विकास हेतु दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के ट्रेपेजियम क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना प्रतिबंधित कर दी गई है इससे औद्योगिक विकास में गतिरोध अवश्य उत्पन्न हुआ है ।

ताज महल के आस पास के क्षेत्रों में प्रदेश सरकार के उपक्रम उ0 प्र0 इलेक्ट्रानिक्स निगम, लखनऊ द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की एसेम्बली कार्य से संबंधित उद्योगों की स्थापना हेतु योजना बनाई जा रही है जिसकी मई, 1988 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है इसके साथ ही साथ उ0 प्र0 राज्य अद्योगिक विकास निगम द्वारा उसके सिकन्दरा माइट "सी" आगरा स्थित इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स के विकास के लिये 24 भूखण्ड विकसित किये जा रहे है ।

यह सभी उद्योग सामान्यत: निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित किये जा रहे है और प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतनमान

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम कार्य प्रभारित कर्मचारियों को वही वेतनमान दिये जा रहे है जो कि समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों को दिये जाते है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

कार्य के विरुद्ध जो कर्मचारी रखे जाते है उन्हें ही कार्य प्रभारित कर्मचारी कहा जाता है । चूंकि कार्य प्रभारित कर्मचारियों का एक अलग वर्ग है, अत: इनका वेतनमान भी नियमित अधिष्ठान से अलग है ।

(*)4–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[3रे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 2 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*5–श्री मित्रसेन–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

ग्राम में निर्मित देशी शराब को लाइसेंस शुदा ठेकों से बिकवाने की कथित योजना

*6—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि बड़ी डिस्टिलरीज में बड़े पैमाने पर बनने वाली शराब और गांवों में परम्परागत रूप से महुआ, ताड़, आदि से बनाई जाने वाली देशी शराब की गुणवत्ता (क्वालिटी) और मिकदार (पी0 एच0 वैल्यू) में क्या अंतर है ? क्या गांवों में हरिजनों व पिछड़ी जातियों द्वारा लघु स्तर पर बनाई जाने वाली देशी शराब को भी खरीद कर लाइसेंसशुदा शराब के ठेकों से बिकवाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? क्या यह सच है कि गांवों में बनने वाली शराब की सरकारी खरीद से उ0 प्र0 के करीब 10 हजार परिवारों को तुरन्त और 60 हजार परिवारों को क्रमशः गरीबी के रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश की आसवनियों में बनने वाली देशी शराब की पी0 एच0 वैल्यू सामान्यतः 4.00 से 7.00 होती है । नियमों के अंतर्गत केवल लाइसेंस प्राप्त आसवनियां ही मदिरा का निर्माण कर सकती हैं । आसवनियों के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से निर्मित होने वाली मदिरा की पी0 एच0 वैल्यू सामान्यतः 3.00 से 4.00 होती है । किन्तु ऐसी मदिरा अवैध है फलतः इस अवैध मदिरा का आसवनियों द्वारा निर्मित मदिरा से तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जुलाई 1987 तक ओबरा विद्युत गृह की कार्य क्षमता कम होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

*7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (जुलाई 87 तक) ओबरा विद्युत गृह के कोल हैंडलिंग प्लांट की कम क्षमता के कारण वह विद्युत गृह पूर्ण उत्पादन नहीं कर पाता था ? यदि हां, तो इस परिस्थिति का पूर्ण आंकलन करते हुए जब इन तापीय इकाइयों को विस्तार किया जा रहा था तब उसी के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट की क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई गई ? परिषद् में इस कार्य हेतु प्लानिंग और पूर्व अनुमान लगाने हेतु कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे तथा प्रशासन ने उनके खिलाफ इस गैर जिम्मेदारी के लिए क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ओबरा विद्युत गृह पर क्षमता से उत्पादन कम होने के कारणों में कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की क्षमता भी है । ओबरा के कोल हैंडलिंग प्लाण्ट का निर्माण (डी) ग्रेड कोल के आधार पर किया गया था परन्तु विद्युत गृह को ई0 और एफ0 ग्रेड कोल की आपूर्ति हो रही है जिसके कारण कोयले की वर्तमान खपत आंकलन से अधिक है । इस कारण कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की क्षमता में वृद्धि आवश्यक हो गई है ।

कोल हैंडलिंग प्लाण्ट की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण हुई है । इस परिवर्तन के लिये विद्युत परिषद् का कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

थाना सिम्भावली जिला गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*8–श्री कनक सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सिम्भावली जिला गाजियाबाद में जहरीली शराब पीने से सैकड़ों व्यक्तियों के अन्धे होने एवं अनेक की मृत्यु होने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-11-87 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माह अक्टूबर, 1987 के अंतिम सप्ताह में जनपद गाजियाबाद के बक्सर, सिम्भावली क्षेत्र में जहरीले पेय पदार्थ के सेवन से नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 3 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की सूचना मिली । प्रश्नगत घटना के पश्चात् संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी सिपाहियों तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष, सिम्भावली को निलम्बित कर दिया गया है । साथ ही दुर्घटना की न्यायिक जांच करने हेतु परगनाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर को आदेशित कर दिया गया है और जांच प्रगति पर है ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रभावित व्यक्तियों के परिवारजनों द्वारा जिला प्रशासन को अभी तक आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही मृतकों के आश्रितों अथवा प्रभावित व्यक्तियों को कोई आर्थिक सहायता जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत की गई है ।

प्रदेश के बन्द हथकरघों को पुनः चलवाने एवं उन्हें राहत देने पर विचार

*9–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के लाखों बुनकर सूत की मंहगाई के कारण अपने हथकरघे बन्द कर दिये हैं और वे भुखमरी की कगार पर हैं ? क्या शासन उनकी समस्या का हल करके पुनः हथकरघे चलवाने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक और उन्हें क्या राहत दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूत की मंहगाई के फलस्वरूप हथकरघा वस्त्र उत्पादन पर बुरी प्रभाव पड़ा है । परन्तु यह सही नहीं है कि लाखों बुनकरों ने हथकरघे बन्द कर दिए हैं तथा भुखमरी के कागार पर हैं । समस्या के प्रति शासन पूरी तरह जागरूक है और शासन ने बुनकरों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे स्थिति सुधरी है ।

*10–श्री मैनेजर सिंह–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ और उन्नाव की सीमा पर बसे कतिपय गांवों में खड़ंजा कार्य में प्रगति

*11—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और उन्नाव जनपद की सीमा पर बसे हुए गांवों जैसे सेरौती, अर्जुनामऊ, नदौहा, महमूदपुर जनपद उन्नाव रहीम नगर पड़ियाना, हाजीपुर, गोड़वा, हुलास खेड़ा, ककौहा सबसुख खेड़ा बहजनामऊ, भटगांव पाण्डे आदि जनपद लखनऊ में कुसुम्भी से लेकर कानपुर-लखनऊ मार्ग तक लगभग 15 कि0 मी0 नहर की पटरी पर खड़ंजा बिछाने का आदेश मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री सच्चिदानन्द बाजपेई, सदस्य विधान सभा एवं प्रश्नकर्ता द्वारा दिये पत्र दिनांक 8 मई, 1986 पर दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त मामले में क्या प्रगति हुई एवं उक्त कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्न से संबंधित जैतीपुर राज0 की पटरी को शीर्ष से अखिर तक कुल 16.60 कि0मी0 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खड़ंजायुक्त कराने से संबंधित प्राक्कलन जिलाधिकारी उन्नाव व लखनऊ को भेजा जा चुका है । संपूर्ण कार्य की अनुमानित लागत रु0 21.98 लाख आंकी गई है । लखनऊ व उन्नाव जनपद की डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा कार्य की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा । सिंचाई विभाग के बजट से यह कार्य कराना संभव नहीं है ।

सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर के कतिपय अधिकारियों को आरोप पत्र दिये जाने में पक्षपात

*12—श्री राम शरण दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर के 2 अधिकारियों को दिनांक 26-7-87 को आरोप पत्र दिये गये जो उन्होंने 27-7-87 को प्राप्त कर लिये थे ? क्या यह सही है कि यही आरोप 3 अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी थे और उनको आरोप पत्र नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा के ब्लाक जगनेर में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित करने के संबंध में जनता का प्रार्थना-पत्र

*13–श्री बदन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक जगनेर में विद्युत आपूर्ति की कठिनाई को पूरा करने के लिए वहां एक विद्युत सब-स्टेशन बनाने के लिए कोई मांग पत्र स्थानीय जनता ने दिनांक 25-12-87 को माननीय उर्जा राज्य मंत्री को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह भी सही है कि जनपद आगरा के ब्लाक जगनेर में विद्युत सब-स्टेशन बनाने के लिए जगनेर ग्राम के ग्राम बरगवां की भूमि प्रबंध समिति ने गांव के गाटा सं0 2025/1 व 2 रकबा तीन एकड़ भूमि पर उक्त सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित कर दिनांक 7-1-88 को माननीय विद्युत राज्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो वहां विद्युत सब-स्टेशन का बनाना कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां । जगनेर कस्बे में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत है और उसके लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हुआ है । भूमि उपलब्ध होने पर उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा ।

*14–श्री पूरन सिंह बाहरा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*15–श्री महेन्द्र भाटी–

[दिनांक 4-1-88 को ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को हाता खुदा बख्श, पुराना गणेशगंज की विद्युत आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रेषित-पत्र

*16–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ को श्री महेश्वर पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का पत्र क्रमशः दिनांक 20 मार्च, 87 तथा 8 अप्रैल, 87 संलग्नक सहित हाता खुदा बख्श पुराना गणेश गंज की विद्युत आवश्यकता के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो विद्युत विभाग द्वारा संलग्न पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उपरोक्त पत्र के बिन्दुओं पर निम्न कार्यवाही की गई है:–

1–पेड़ों की डालें जो लाइन के निकटस्थ थी, काट दी गयी है तथा लाईन कस दी गयी है।

2–ट्यूबलाइट के रख रखाव का कार्य नगर महापालिका द्वारा किया जाता है।

3–लाइन की जांच कराकर एक जम्पर, जो क्षतिग्रस्त पाया गया था, उसको 16-4-87 को ठीक करा दिया गया।

*17–श्री अवधेश प्रसाद–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

*18–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

बाढ़ से बचाव हेतु प्रदेश स्तर पर कथित मास्टर प्लान की आवश्यकता

*19–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने हेतु प्रत्येक जिले में मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि नहीं, तो मास्टर प्लान न बनाये जाने के क्या कारण है तथा क्या सरकार अब बाढ़ से बचाव हेतु मास्टर प्लान बनवाकर तद्नुसार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। परन्तु उन जनपदों में जिनमें जल निकासी की समस्या है उसमें जल निकासी हेतु मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं।

भारत सरकार के गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा गंगा बेसिन के अंतर्गत सभी उप नदियों के बेसिनवार बाढ़ नियंत्रण के कम्प्रेहेन्सिव प्लान बनाये जा रहे हैं जिनके बन जाने के उपरान्त जनपदवार मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि किसी भी नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु समस्या ग्रस्त पूर्ण परिक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक कार्य किये जाते हैं न कि जनपद के आधार पर।

बड़ी गंडक पर बांध बनाए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव

*20–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में बड़ी गंडक के विगत वर्षों में कटाव और उससे होने वाली क्षति तथा बिहार स्थित क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा बंधा निर्माण कार्य में बरती जा रही उदासीनता को देखते हुए बन्धा निर्माण कार्य केन्द्रीय बाढ़ आयोग द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो आने वाली बरसात में बाढ़ की विभीषिका से पडरौना के गांवों के कटाव को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बिहार क्षेत्र में स्थित बांध का कार्य केन्द्रीय बाढ़ आयोग को सौंपने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार इस बांध को सुरक्षित रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है तथा विषम परिस्थितियां होते हुए भी वर्ष 1987 के बाढ़ काल में उनके द्वारा बांध को सुरक्षित रखा गया है। वर्ष 1988 की बाढ़ के पूर्व इस बांध पर आवश्यक कार्य करने हेतु संस्तुति मण्डक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी है जिन्हें कार्यान्वयन करने हेतु बिहार सरकार से निवेदन किया जाता रहा है।

अतारांकित प्रश्न

चित्रकूट धाम नगरपालिका करवी जनपद बांदा में राज्य परिवहन निगम का डिपो खोलने का प्रस्ताव

1–श्री राम सजीवन–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की चित्रकूट धाम नगरपालिका करवी में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का एक डिपो खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है? क्या सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बांदा ने 16-7-87 को अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेजकर करवी में डिपो खोलने की नितान्त आवश्यकता की पुष्टि की है? यदि हां, तो अभी तक डिपो क्यों नहीं खोला गया? डिपो खोलने का निर्णय करके जमीन खरीदने भवन एवं कारखाना निर्मित करने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 16-7-87 में डिपो खोलने की आवश्यकता के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। फिलहाल वित्तीय वर्ष 1987-88 और 1988-89 में करवी जनपद बांदा में डिपो कार्यशाला की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम अर्जुनपुर करवी बांदा के निवासियों को सिंचाई सुविधाएं

2–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अर्जुनपुर करवी बांदा के किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-11-86 को श्री राम निवास उप सचिव सिंचाई (3) अनुभाग ने मुख्य अभियन्ता (बेतवा) सिंचाई विभाग झांसी को 10 अप्रैल, 1987 को समुचित निर्देश के साथ भेजा था? यदि हां, तो उस संबंध में अभी तक प्रभावी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं? क्या किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कैसे और कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रार्थना पत्र पर जांच हो चुकी है। ग्राम अर्जुनपुर, जनपद बांदा के किसानों को सिंचाई सुविधा देने हेतु ओहन फीडर को ठीक करने के प्रस्ताव बनाये गये हैं। परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

बांदा जनपद में ओहन फीडर नहर के आरम्भ के कुछ भागों में जमा मिट्टी को हटाने का प्रस्ताव

3–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में ओहन फीडर नहर में शुरू के कुछ कि0 मी0 तक गहराई अधिक होने के कारण प्रति वर्ष बरसात के मौसम में मिट्टी भर जाती है और नहर में पानी चलने में अवरोध पैदा हो जाता है? क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष नहर की मिट्टी की सफाई में विलम्ब होने से किसानों को सिंचाई के लिए ठीक समय से पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता? यदि हां, तो क्या इस समस्या के स्थायी हल के लिए कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या किसानों को ठीक समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु स्थायी हल के प्रस्ताव को शीघ्र लागू करके पूरा कराया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

नगर में मिट्टी के भराव को रोकने के लिए नहर के साइड स्लोपिंग के सरलीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी।

बांदा जिले में करबी तहसील स्थित मरूजादपुर बांध के पुनर्निर्माण एवं सिंचाई सुविधा दिए जाने की मांग

4–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में करबी तहसील स्थित मरूजादपुर बांध का पुनर्निर्माण कराने और किसानों को सिंचाई सुविधाएं दिये जाने का प्रस्ताव सिंचाई प्रखण्ड प्रथम करबी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मंडल बांदा के पास करीब पांच-छः महीने पूर्व भेजा गया था? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत न करने और बांध का निर्माण न कराने के क्या कारण हैं? समस्त अवरोधों को शीघ्र दूर कर बांध का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

करवी तहसील में ग्राम समाज के मरूजादपुर तालाब पर बांध बनाने की मांग हेतु प्रश्नकर्ता के एक पत्र पर सिंचाई प्रखण्ड प्रथम करवी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मंडल, बांदा को प्रतिवेदन भेजा गया था। यह ग्राम समाज का तालाब है और इस तालाब का रख-रखाव विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। अतः बांध के निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विद्युतीकरण युक्त गांवों के लिए स्वीकृत बल्बों के खरीदने का कथित आदेश

5—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है वहां लगाने हेतु जिलाधिकारी बस्ती ने एच0 एम0 टी0 के 60,000 बल्ब खरीदने का आदेश 1986-87 तथा 1987-88 में किया है ? यदि हां, तो उक्त बल्ब खरीदने का टेण्डर न मांगने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद में विद्युतीकृत गांवों के लिए वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में एच0एम0टी0 के 60,000 बल्ब खरीदने का कोई आदेश नहीं दिया गया है बल्कि दिसम्बर, 1986 में केवल 7,172 बल्ब का क्रय किया गया। यह क्रय जनपद के लिए एच0 एम0 टी0 के अधिकृत डीलर से फैक्टरी द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार किया गया है, इसलिए टेण्डर लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपर्युक्त खरीदारी केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एच0 एम0 टी0 से किया गया है जो भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है।

सरोजनी नगर लखनऊ के गांवों में सिंचाई सुविधा हेतु लिफ्ट पम्प नहर बनाये जाने हेतु सर्वेक्षण

6—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 26-5-87 जो लखनऊ के सरोजनी नगर के ग्रामों में सिंचाई सुविधा हेतु लिफ्ट पम्प नहर बनाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

लिफ्ट पम्प नहर बनाये जाने के संबंध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षणानुसार 5 क्यूसेक क्षमता की पम्प नहर बनायी जा सकती है परन्तु वर्तमान नीति के अनुसार 25 क्यूसेक से कम क्षमता की नहर का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

नये राशन कार्डों पर एक माह बाद राशन दिये जाने के संबंध में शिकायत

7—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन बने राशन कार्डों पर दुकानदार जिस दिनांक को जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा कार्ड जारी किए जाते हैं उस दिनांक से राशन न देकर एक माह बाद राशन देते हैं? क्या शासन ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है? यदि हां, तो किस दिनांक से यह आदेश लागू किया किया गया?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिलापूर्ति कार्यालय द्वारा नये राशन कार्ड जारी करते समय राशन कार्ड के साथ बिक्रेता के नाम एक स्लिप भी दी जाती है जिसमें राशन कार्ड के विवरण के साथ यह उल्लेख कर दिया जाता है कि नियमानुसार खाद्यान्न/चीनी दी जाये। इस स्लिप या राशन कार्ड पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता है कि राशन कार्ड अगले माह से वैध होगा या खाद्यान्न/चीनी अगले माह से दिया जायेगा। स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप समर्पण-प्रमाण-पत्र के आधार पर जो नये राशन कार्ड जारी किये जाते हैं, उसके साथ जारी स्लिप में, यदि संबंधित व्यक्ति ने पिछले माह का राशन संबंधित दुकान से प्राप्त कर लिया है, तो राशन कार्ड अगले माह से वैध करने का उल्लेख कर दिया जाता है। इस संबंध में कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।

सामान्यतया सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को माह के अन्त में प्रचलित यूनिटों के आधार पर आवश्यक वस्तुएं आवंटित की जाती हैं। अतः माह में वृद्धि किये गये नये कार्डों/यूनिटों के विरुद्ध आवश्यक वस्तुओं के आवंटन के अभाव में नये कार्डों पर राशन उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है और यदि संबंधित विक्रेता के पास खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती है तो कभी-कभी नये राशन कार्ड पर अगले माह राशन उपलब्ध हो पाता है।

जनपद फैजाबाद के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

8–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 12-9-87 का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बोधित पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य तथा उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उक्त पत्र के पूरे तथ्य तथा कृत कार्यवाही निम्नवत है :–

1–गोसाईगंज टाउन के तारों के तारों, जिनके टूटने से विद्युत व्यवधान होता था, को अल्युमिनियम के तार द्वारा बदला जा चुका है। यह कार्य नियमानुसार एस्टीमेट स्वीकृत होने के उपरान्त ही किया गया है तथा पुराने तांबे के तार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में तोल कर स्टोर केन्द्र में जमा कर दिया है।

2–गोसाईगंज सबस्टेशन, टाउन एरिया से 2 किमी0 की दूरी पर स्थित है। यह बात सत्य नहीं है कि संबंधित अवर अभियंता एवं एस0 एस0 ओ0 सबस्टेशन पर नहीं रहते और वहां पर तैनात सभी एस0 एस0 ओ0 स्थानीय हैं, बल्कि 4 में से 3 एस0 एस0 ओ0 बाहर के निवासी हैं। उक्त सबस्टेशन पर टेलीफोन द्वारा सम्पर्क न हो पाने का मुख्य कारण टेलीफोन की खराबी है।

3–विद्युत उपकेन्द्र केरालाल खां पर विद्युत भार बढ़ जाने के कारण ही उसका कुछ भाग विद्युत उपकेन्द्र महरूआ पर स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया था ।

4–जहां तक श्री मिश्री लाल यादव पुत्र श्री कर्मराज यादव, निवासी ग्राम पमोली की विद्युत दुर्घटना का प्रश्न है, राज्य विद्युत परिषद् इस विद्युत दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो विद्युत लाइन पर कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, यदि विद्युत लाइन पर किसी भी स्थिति में कार्य करता है तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है ।

वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी देवरिया डिपो के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायत पर की गई कार्यवाही

9–श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पी0 एन0 तिवारी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी देवरिया डिपो के विरुद्ध जांच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 जून, 1987 जो तत्कालीन परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह) के नाम सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित आरोप क्या थे और उन पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री पी0 एन0 तिवारी वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी देवरिया के विरुद्ध निम्न आरोप थे :–

(1) डिपो की आय घटी ।

(2) कटौलमेन्ट बढ़ा ।

(3) अव्यवस्था फैली ।

(4) निगम के धन को हड़पना ।

उक्त आरोपों में श्री पी0 एन0 तिवारी को दिनांक 12-8-87 को निलम्बित कर आरोपित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के स्थानान्तरण

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रदेश के एक जनपद से दूसरे जनपद में तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के समान स्थानान्तरित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान स्थानान्तरण भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

सचिव, उ0 प्र0 शासन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के आदेश संख्या-305/उपक्रम वेतन रिपोर्ट-105/1983, दिनांक 30-9-83 अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यमों के सेवकों के लिए नए वेतनमानों में यात्रा भत्ता की दरें, सड़क किलोमीटर भत्ते की दरें, आनुषांगिक व्यय की दरें वही रहेंगी जो राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत हैं इस संबंध में जो नियम राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं वही नियम सार्वजनिक उद्यमों के नियमों के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

शासनादेश संख्या-7141/ए0 एन0/80-23 सि-7/88-7-80, दिनांक 7-2-1981 के अनुसार कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विभाग की एक परियोजना से कार्य समाप्त होने पर दूसरी परियोजना पर साधारण दर पर यात्रा भत्ता देकर आवश्यकतानुसार स्थानानान्तरित किया जा सकता है । यदि कोई कार्य प्रभारित कर्मचारी स्वयं दूसरी परियोजना पर न जाना चाहता हो अथवा विभाग में कार्य न करना चाहता हो, श्रम अधिनियमों के अंतर्गत छटनी क्षतिपूर्ति, यदि कोई देय हो भुगतान करके उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । अतः कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उपरोक्त के अनुसार निगम में यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है ।

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

11–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या विद्युत मंत्री को श्री कामेश्वरनाथ अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग बरेली के विरुद्ध 10 अक्टूबर, 1987 को प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री कनक सिंह–

[उर मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 131 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गाजियाबाद के सिम्भावली मिल पर सरकारी बसों के स्टाप खोले जाने की व्यवस्था

13–श्री कनक सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जिला गाजियाबाद के अन्तर्गत सिम्भावली मिल पर दो वर्ष पूर्व एक बस स्टाप स्वीकार किया गया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त स्टाप पर बसें नहीं रोकी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्टाप पर ए0 आई0 आई0 की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उसने क्या व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

ए0 टी0 आई0 वहां पर निगम बसों को चैक करने/रोकने का कार्य करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हापुड़ डिपो जिला गाजियाबाद से हरोडा, फन्तापुर तथा दतियाना-मेरठ मार्गों पर निगम की बसों का संचालन

14–श्री कनक सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि हापुड़ डिपो जिला-गाजियाबाद के अन्तर्गत रोडवेज बसें हरोडा-मेरठ, फन्तापुर-मेरठ व दतियाना-मेरठ आदि मार्गों पर चलने हेतु स्वीकार थीं, किन्तु काफी समय से बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त मार्गों पर निगम बसों के समानान्तर बहुत बड़ी संख्या में निजी बसों का संचालन यथावत बनाये रखने के फलस्वरूप निगम बसों की आय बहुत कम प्राप्त होने के कारण, निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए बस सेवायें बन्द कर दी गयी हैं ।

बरेली महानगर की कतिपय कालोनियों में विद्युतीकरण का प्राक्कलन

15–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर की नई विकसित हो रही कालोनियां ट्रेंचिंग ग्राउन्ड प्रभात नगर, सिन्धुनगर, ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के निकट बी0डी0 ए0 कालोनियों में विद्युतीकरण नहीं हो पाने के कारण नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है ? विद्युत अधिकारियों ने इन कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु इतने लम्बे चौड़े इस्टीमेट बना दिए हैं जिनका वहां के नागरिक भुगतान करने में अपने को पूर्ण असमर्थ पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन कालोनियों के इस्टीमेट कम से कम कराकर तुरन्त विद्युतीकरण कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इन कालोनियों के विद्युतीकरण के प्राक्कलन विद्युत परिषद् द्वारा सही सर्वे करने के पश्चात तथा तकनीकी नियमानुसार न्यूनतम धनराशि के बनाये गये हैं । ट्रेंचिंग ग्राउन्ड, प्रभातनगर व सिंधुनगर कालोनी के प्रबन्धकों ने प्राक्कलन की धनराशि जमा कर दी है तथा इन कालोनियों का विद्युतीकरण कार्य क्रमशः जनवरी, 1988, दिसम्बर, 1987 तथा फरवरी, 88 में पूर्ण कर दिया गया है ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के निकट बी0 डी0 ए0

कालोनी के विद्युतीकरण की अनुमानित धनराशि बी0 डी0 ए0 द्वारा जमा नहीं की गई है । धन जमा होने के पश्चात ही विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । विद्युतीकरण कालोनियों के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अनुमान पत्र नियमानुसार एवं न्यूनतम धनराशि के ही दिए जा रहे हैं जिन्हें वह जमा कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1 में जे0 एम0 डी0 के पद पर नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

16–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 मार्च, 1986 जो राज्य कताई मिल कम्पनी नं0 1 में जे0 एम0 डी0 के पद पर श्री आर0 सी0 गुप्ता के चयन के बारे में था, पत्रांक सी0 एम0/वि0 को/एम-2/18-10-के /86 के साथ प्रमुख सचिव उद्योग विभाग को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । माननीय विधायक को सूचित करते हुए उनका पत्र दिनांक 18 मार्च, 1986 प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी नं0-1, बी-2 सर्वोदय नगर कानपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ।

जनपद अल्मोड़ा में आर0 आई0 सी0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि

17–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में आर0 ई0 सी0 व अन्य योजनाओं के तहत वर्ष 1986–87 मार्च तक के लिए विद्युतीकरण हेतु कुल कितने रुपये की योजनाएं स्वीकृत थीं तथा दिसम्बर, 1987 तक जनपद को स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु कितना धन उपलब्ध करवाया गया था ? क्या वित्तीय वर्ष 1987 के मार्च तक स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध पूर्ण रुपया जनपद को उपलब्ध करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मलहेटा ब्लाक राव जनपद हमीरपुर के धसान नदी के मकरकुंडी स्थान पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थापित किए जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

18–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-7-87 का, ग्राम प्रधान मलेहटा, ब्लाक राव हमीरपुर के प्रार्थना पत्र सहित गांव की सिंचाई समस्या के समाधान हेतु धसान नदी के मकरकुंडी स्थान पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थापित किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त लिफ्ट नहर कब तक बनवा दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

गांव की सिंचाई समस्या के समाधान हेतु सहायक अभियन्ता के नजरिया सर्वेक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र का क्षेत्रफल 1200 एकड़ है जिसके लिए 12 क्यूसेक क्षमता की लिफ्ट नहर पर्याप्त होगी । पम्प नहर के लिए केवल बरसात में ही जल उपलब्ध रहेगा ।

किन्तु शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 25 क्यूसेक क्षमता से कम की पम्प नहरें बनाना सम्भव नहीं है ।

19–श्री सरदार सिंह–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जाजमऊ, कानपुर के पुल पर हुई बस दुर्घटना में बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को दिए गए मुआवजे

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के जाजमऊ बस दुर्घटना कांड में बिना टिकट यात्रा करने वाले मृतकों के परिवारों को भी क्षतिपूर्ति दी गई है ? यदि हां, तो किसको और कितनी-कितनी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त दुर्घटना काण्ड में सभी मृतकों के परिवारों को बीमा योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है जो इसे सत्यापन के बाद मृतकों के कानूनी वारिसों को वितरित करते हैं ।

अब तक किए गए वितरण के विवरण संकलित किए जा रहे हैं ।

समथर नगरपालिका झांसी की विद्युत आपूर्ति को व्यवस्थित करने हेतु शक्तिशाली पावर स्टेशन बनवाने की योजना

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की समथर नगरपालिका की विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित करने की दृष्टि से यहां तैंतिस के0 वी0 का सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यरूप दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अभी सब-स्टेशन के निर्माण का निर्णय नहीं लिया गया है । वर्तमान समय में समथर नगरपालिका की विद्युत आपूर्ति 132 के0 वी0 मोठ सब-स्टेशन से एक 11 के0 वी0 ग्रामीण फीडर द्वारा व्यवस्थित रूप से की जा रही है । फिर भी भविष्य में सम्भावित विद्युत मांग की बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुये समथर में 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बनाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है।

ग्राम रिछपाल गढ़ी तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के निकट डासना नाले से सिंचाई शुल्क की वसूली

22—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम रिछपाल गढ़ी तहसील-दादरी जनपद गाजियाबाद के निकट बहने वाले डासन नाले पर सिंचाई हेतु कोई कुलावा है ? यदि नहीं, तो फिर उक्त ग्राम को ग्राम वासियों से सिंचाई का महसूल किस आधार पर वसूला जाता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम रिछपाल गढ़ी के निकट डासना नाले पर सिंचाई हेतु कोई कुलाबा नहीं है किन्तु राजबाहा मेनकलदा का पानी डासना नाले पर बंधा लगाकर पानी को रोककर, इसी पानी से काश्तकार सींच करते हैं । अतएवं नार्दन इण्डिया केनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट के सेक्शन 36 के अंतर्गत बने नियम के अनुसार नहरी पानी की सींच का महसूल वसूल किया जाता है ।

बसन्त ग्लास उद्योग छिपीटके मेरठ के द्वारा किये जा रहे कुछ अनधिकृत कार्य

23—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में बसन्त ग्लास उद्योग छिपीटके अनाधिकृत कार्य कर रहा है और उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी अनाधिकृत हैं ? क्या यह भी सही है कि ग्लास व गैस के प्रयोग से प्रदूषण फैलता है ? क्या मंत्री जी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को तत्काल बन्द कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मे0 बसंत ग्लास उद्योग (मेरठ), ग्लास एम्प्यूल्स तथा फाइल्स बनाने हेतु उद्योग विभाग में एक लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है । इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में मुख्यतः एल0 पी0 जी0 गैस, ग्लास ट्यूब्स तथा आक्सीजन गैस का प्रयोग होता है । एल0 पी0 जी0 के लिए इकाई के पास स्वीकृत कनेक्शन हैं, तथा आक्सीजन गैस व ग्लास ट्यूब्स खुले बाजार में बिना किसी प्रतिबन्ध के मिलते हैं ।

एल0 पी0 जी0 गैस प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आती है । अतः उद्योग को बन्द करना जनहित में नहीं होगा ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा वर्ष 1986 के बिलिंग के लिए खरीदी गई मशीनों के संबंध में शिकायती-पत्र

24—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा 1976 में बिलिंग के लिए खराब मशीनें खरीदनें के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का एक शिकायती पत्र सं0 739 मा0 राज्य मंत्री जी को तारीख 22-12-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फाजिल्का सेक्टर में मारे गये कानपुर के ब्रिगेडियर राम सिंह की यादगार में अस्पताल या मंदिर बनाये जाने का प्रस्ताव

25–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि मई जून या जुलाई 1985 में जिलाधिकारी कानपुर के नाम प्रतिरक्षा विभाग की ओर से कोई पत्र आया था जिसमें फाजिल्का सेक्टर में मारे गये बिग्रेडियर राम सिंह की यादगार में उनकी पत्नी की ओर से अस्पताल व मंदिर बनाने का प्रस्ताव था ? क्या इस पर जिलापूर्ति अधिकारी ने जांच करायी और विपरीत जांच रपट के बावजूद जिला पूर्ति अधिकारी ने सीमेंट बोरियों का परमिट जारी किया है ? यदि हां, तो कितनी बोरियों का परमिट जारी किया गया ? क्या अस्पताल व मंदिर का निर्माण किया गया ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त पत्र फर्जी था ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री हुकुम सिंह–

मई, जून या जुलाई, 1985 में प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सलाहकार समिति मुरादाबाद में प्रश्नकर्ता को न बुलाये जाने की शिकायत

26–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-114 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत-सलाहकार समिति मुरादाबाद की बैठक दिनांक 1-10-86 एवं वर्ष 85 में प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किये बगैर की गई थी ? यदि हां, तो मीटिंग की किसी सूचना पर प्रश्न-कर्ता के हस्ताक्षर लिये गये थे ? यदि नहीं, तो फिर उनके विधान सभाई क्षेत्र में पड़ने वाले तीन विकास खण्डों के विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों का चयन किस आधार पर कर लिया गया ? क्या इसके लिये दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के बिल्थरा रोड में घाघरा के निकट तापीय विद्युत गृह की स्थापना किये जाने की मांग

27–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या ऊर्जा मंत्री जनहित को ध्यान में रखते हुए बलिया जनपद के बिल्थरा रोड के घाघरा तट के निकट तापीय विद्युत गृह की स्थापना करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तापीय विद्युत गृह निर्माण हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण, विद्युत गृह की स्थापना संभव नहीं है ।

जनपद सीतापुर, सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकों के बारे में जानकारी

28–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में शासनादेश संख्या-3179/81/23 सि0 3-1981 के अनुसार प्रत्येक तीसरे माह जिला सलाहकार समिति की बैठक नहीं होती है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्ष 1987 में कौन-कौन सी तिथि को बैठक बुलाई गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला सिंचाई सलाहकार समिति सीतापुर की बैठक प्रत्येक मास में नहीं हुई । कारण ज्ञात किये जा रहे हैं ।

वर्ष 1987 में समिति की बैठक दिनांक 28-11-87 को हुई ।

ग्राम सकार पार तहसील बांसी जिला बस्ती के राजकीय नलकूप नं0 91 के स्थान का मुआवजा

29–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी तहसील के ग्राम सकार पार में नलकूप नं0 91 किस चक नम्बर पर कब और कितनी भूमि पर बना है ? क्या उस भूमि का मुआवजा संबंधित भू-स्वामी को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देहरादून में अधोईवाला 33/11 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए ली गई भूमि का मुआवजा

30–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में अधोईवाला सहस्त्र धारा रोड पर 33/11 के0 वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए श्री विद्या दत्त शर्मा आदि की क्षेत्र संख्या 114/1-90 डि0 तथा क्षेत्र संख्या 11/25 डी0 को विद्युत विभाग के किन शर्तों पर हस्तगत किया और उस पर दिनांक 4-2-83 को तहसीलदार देहरादून द्वारा किस प्रकार कब्जा दिया गया ? क्या उक्त भूमि का भूमि अध्यापित अधिनियम के अंतर्गत विधिवत अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने का कारण क्या है और उक्त मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त विद्युत उप-केन्द्र हेतु श्री विद्या दत्त शर्मा आदि की 1.40 एकड़ भूमि की अधिग्रहण भूमि अध्यापित अधिनियम 1948 के अंतर्गत तहसीलदार, देहरादून द्वारा दिनांक 4-2-83 को किया गया था । उक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान करने के लिये अधिशासी अभियन्ता द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, देहरादून को जुलाई, 1986 में प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर प्रतीक्षित है । जिलाधिकारी द्वारा मूल्याकन निर्धारित करने पर भूस्वामियों के भुगतान हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

31—श्री अफजाल अंसारी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

पागल कुत्ते अथवा गीदड़ के काटने पर पालतू पशुओं के लिए जिला मुख्यालयों पर उपचार व्यवस्था

32—श्री अफजाल अंसारी—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बैल इत्यादि को यदि कोई पागल कुत्ता अथवा गीदड़ काट लेता है तो उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर इसके इलाज के लिए इन्जेक्शन उपलब्ध है? क्या मंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय को दृष्टि में रखकर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर जानवरों को पागल कुत्ते इत्यादि से काटने की उपचार हेतु इन्जेक्शन और दवा की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश के किसी भी पशु चिकित्सालयों पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यदि पशु मालिक चाहता है तो वह एण्टीरेबीज वैक्सीन की व्यवस्था स्थानीय बाजार से अथवा आई0 वी0 आर0 आई0 बरेली से करके पशु चिकित्सालय पर टीका लगवा सकता है।

उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण एवं अग्रिम लेने की सुविधा

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो/कैफेटेरिया में नकदीकरण एवं अग्रिम लेने की सुविधा कर्मचारियों को प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के वेतन से बीमा फन्ड की कटौती का विवरण

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम डिपो/कैफेटेरिया के कर्मचारियों से बीमा/फण्ड आदि अन्य धनराशियों की वेतन से कटौती की जाती है? क्या यह सही है कि वेतन से कटौती की गई धनराशि का कोई हिसाब निगम में तैयार नहीं किया जाता है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? वह धनराशि कहां किस मद में व्यय अथवा अंकित की जाती है?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नहर की कतिपय शाखाओं की सफाई संतोषजनक न होने की शिकायत ।

35–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के प्रथम बुद्धवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र की जांच किन-किन अधिकारियों ने कमेटी की हैसियत से की है? क्या जांच कर्ताओं ने प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता से भी कोई संबंध स्थापित किया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या फर्जी सफाई के नाम पर निकाली गई लाखों रुपये की धनराशि के बाउचरों के आधार पर मजदूरों से पूंछ-तांछ की गई है? क्या यह सच है कि मजदूरों के नाम फर्जी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र प्राप्त होने से पूर्व जांच समिति द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य का निरीक्षण करके संतोषजनक सफाई का प्रमाण पत्र दे दिया गया था। अतः उक्त शिकायती पत्र पर पुनः जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई। प्रश्नगत जांच समिति ने सर्वश्री के0 के0 सिंह, ब्लाक प्रमुख बिछिया, उन्नाव तथा अख्तरअली फारूकी, सहायक अभियंता, सिंचाई खंड, उन्नाव सम्मिलित थे। प्रश्नकर्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया । सिल्ट सफाई के कार्य विभागीय पद्धति के अनुरूप नियमानुसार ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये अतः मजदूरों से पूछतांछ का प्रश्न नहीं उठता है।

दिनांक 21 मई, 1987 को जनपद बहराइच के जन प्रतिनिधियों एवं सिंचाई खण्ड गोण्डा के कतिपय अधिकारियों के बीच हुआ विवाद

36–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 21-5-87 को बहराइच जनपद के जन प्रतिनिधियों एवं सिंचाई खण्ड गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता श्री राम दयाल में जिला सभागार में गम्भीर विवाद हुआ था जिसकी सूचना दोनों पक्षों के द्वारा मुख्य मंत्री एवं प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को दी गयी है? यदि हां, तो दोनों पक्षों के विवाद के कारण और उल्लिखित तथ्य क्या हैं तथा शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत घटना के बारे में सिंचाई खण्ड गोण्डा के अधिशासी अभियन्ता श्री राम सिंह ने श्री जेड0 इस्लाम, अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा को सम्बोधित तथा मुख्य मंत्री/राज्य मंत्री सिंचाई/प्रमुख अभियंता व अन्य अधिकारियों को संबोधित अपने अर्ध शासकीय पत्रांक-सी-13/सि0ख0गो0, दिनांक 21-5-87 द्वारा सूचना भेजी जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी , बहराइच डा0 ओम प्रकाश ने इस घटना के बारे में सचिव, सिंचाई विभाग को सम्बोधित व फैजाबाद मण्डल के आयुक्त तथा मुख्य मंत्री जी के प्रथम सचिव के साथ-साथ सिंचाई राज्य मंत्री तथा सचिव, ग्राम्य विकास अभिकरण को पृष्ठांकित अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक 246 आ0लि0-(सीआरओ)-8/87 दिनांक 25-5-87 द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी।

प्रश्नगत घटना के बारे में श्री राम सिंह अधिशासी अभियन्ता एवं जिलाधिकारी बहराइच से प्राप्त हुई सूचनायें परस्पर विरोधी हैं।

अधिशासी अभियन्ता की सूचना के अनुसार विभागीय अधिकारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिया जाना विवाद का कारण था। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बहराईच में दिनांक 14-5-87 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक जिलाधिकारी बहराइच के कार्यालय में बुलाई गई थी जिसमें सिंचाई खण्ड, गोण्डा के अधिशासी अभियंता श्री राम सिंह व सहायक अभियन्ता श्री राम दयाल भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सिंचाई खण्ड, गोण्डा द्वारा जनपद बहराइच के रिसिया ब्लाक के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन कराये जा रहे कार्यों में खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी प्रकरण उठाया गया था तथा आशंका व्यक्त की गई थी कि विभाग के पास स्टोर नहीं है। गवर्निंग बाडी द्वारा विभाग का स्टोर तुरन्त जिला प्रशासन द्वारा चेक कराने का निर्णय लिया गया और अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रकरण की स्वयं जांच करने से सम्बन्धित उनके निवेदन को गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया और जिलाधिकारी बहराइच ने अपने सी0आर0ओ0 को स्टोर चेक करने के लिए भेजा और दिनांक 21-5-87 तक के लिए बैठक स्थगित कर दी गयी। सी0आर0ओ0 बहराइच द्वारा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में सिंचाई खण्ड, गोण्डा का स्टोर तथा खाद्यान्न चेक कर लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21-5-87 को गवर्निंग बाडी की बैठक जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनः प्रारम्भ की गई और जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस पर अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, गोण्डा ने विभाग की स्थिति स्पष्ट करने हेतु गवर्निंग बाडी से अनुमति चाही परन्तु अध्यक्ष द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई और खण्डीय अधिकारियों के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। जब अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पुनः प्रयास किया गया तो अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इस पर अधिशासी अभियन्ता ने यह मांग की कि यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए न कि अधिकारयों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाना चाहिए। जब उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता रहा और बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई तब उन्होंने बैठक से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की और अध्यक्ष द्वारा उन्हें तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियंता को बाहर जाने के आदेश दिये गये।

इसके विपरीत जिलाधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के अनुसार विवाद का कारण दिनांक 14-5-87 को लिये गये निर्णय के अनुसार सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विभागीय स्टोर की जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच के परिणाम स्वरूप उनमें पाई गई अनियमितताओं पर दिनांक 21-5-87 की बैठक में की जा रही चर्चा थी जिसके अनुसार जन प्रतिनिधि जब अध्यक्ष से वार्ता कर रहे थे, तभी श्री राम सिंह अधिशासी अभियन्ता कुछ कहने के लिये उठ खड़े हुये और अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी भावावेश में आकर यह कहा कि दिनांक 14-5-87 की बैठक में भी उन्हें अपमानित होना पड़ा था और ऐसी बैठक में वे उपस्थित रहना नही चाहेंगे तथा इस प्रकार की

बातें कहते हुये वे स्वयं एवं उनके सहायक अभियन्ता श्री राम दयाल अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये बिना बाहर चले गये। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच तकनीकी प्रकोष्ठ से कराने की संस्तुति की तथा खाद्यान्न वितरण के विषय में प्रकाश में आये घपले की जांच के लिये पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। संबंधित अभियोग की जांच पुलिस द्वारा की गई परन्तु सबूत न मिलने के कारण अभियोग न्यायालय में भेजने योग्य नहीं पाया गया।

जिलाधिकारी बहराइच के संस्तुति के आधार पर इस मामले की जांच शासन के सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से कराई गयी। मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या अगस्त तथा अक्टूबर, 1987 में प्राप्त हुई जिसका परीक्षण करने के बाद प्रश्नगत मामले से संबंधित कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

अहिरौली माइनर फैजाबाद पर साइफन बनाने के संबंध में कटेहरी विकास खण्ड के दस ग्राम प्रधानों के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही।

37—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में स्थित दस गांव सभाओं के प्रधानों का नहर की अहिरौली माइनर पर साइफन बनाने का, प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-11-87 के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। स्थानीय कृषकों के दो गुटों में साईफन के निर्माण के सम्बन्ध में परस्पर विरोध के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

38—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 24-2-88 को ता0प्र0सं0 16 द्वारा उत्तरित हो जाने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से संबंधित राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0 1 व 2 तथा सहकारी कताई मिलों में कार्यरत श्रमिकों के वेतनमान

39—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कं0 नं0 1 व 2 तथा सहकारी कताई मिलों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन समान है ? यदि हां, तो दोनों जगहों पर इनका पदानुसार न्यूनतम मूल वेतन क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

देवरिया जनपद में ग्राम पकहां से फाजिलनगर कसया पडरौना बस सेवा को पुनः चालू करने के संबंध में शासन के आदेश

40—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में ग्राम पकहां से वाया फाजिलनगर कसया होते हुए पडरौना के बीच सन् 1983 तक बस सेवा चलती रही है, जिसे 1984 में संबंधित बस के खराबी के कारण आस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या उसे चलाये जाने के लिए पूर्व परिवहन मंत्री जी गुलाब सेहरा तथा श्री संजय सिंह द्वारा आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो उसे अब तक न चलाये जाने का कारण क्या है ? जनहित को देखते हुए बस चलाये जाने हेतु शासन कब आदेश देगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पूर्व परिवहन मंत्री श्री गुलाब सेहरा द्वारा कोई आदेश दिये गये प्रतीत नहीं होते । डा0 संजय सिंह पूर्व परिवहन मंत्री द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-6-1985 पर जितनी बसे चल सकती हो, चलवाये अंकित टिप्पणी सहित प्राप्त हुआ था ।

ग्राम पकहा से प्रश्नगत स्थानों को जाने वाले यात्री पकहां-देवरिया एवं पकहां-गोरखपुर बस सेवाओं से बघौचघाट अथवा कंचनपुर अथवा अन्य निकटतम स्थान तक आकर वहां से निगम बसों की सेवा आसानी से प्राप्त करते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41—श्री कुशल पाल सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद मथुरा के सुल्तानपुर में जमुना नदी से सिंचाई लिफ्ट योजना बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव

42—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट तहसील जनपद मथुरा के सुल्तानपुर में जमुना नदी से कोई सिंचाई लिफ्ट योजना शासन के विचाराधीन थी जिसके निर्माण के लिये करोड़ों रुपयों के पाइप आदि सामान आज भी सुल्तानपुर में लम्बे समय से पड़े हैं ? यदि हां, तो इस सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना कब तक पूरी करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, मांट तहसील जनपद मथुरा के सुल्तानपुर में जमुना नदी से सुरीर पम्प कैनाल (सिंचाई लिफ्ट योजना) शासन के विचाराधीन थी । योजना स्थल पर वर्तमान में केवल रुपये 2,48,340 धनराशि का सामान पड़ा हुआ है ।

इस योजना को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि वर्ष 1970-71 की भारी बाढ़ के कारण सन्दर्भित पम्प कैनाल के प्रस्तावित हेड से यमुना नदी की धारा के लगभग 1300 फीट हट जाने से इस योजना को कार्यरूप नहीं दिया जा सका ।

जनपद मथुरा की माट तहसील के अन्तर्गत स्थित नौह झील को सिंचाई सुविधा और पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विकसित करने की मांग

43—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट तहसील जनपद मथुरा में नौह-झील में एक बहुत बड़ी झील जमुना किनारे थी जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा व जानवरों के पेयजल की सुविधा थी ? यदि हां, तो क्या शासन इस क्षेत्र के किसानों को सूखा के समय पानी उपलब्ध कराने हेतु इस उथली झील को पुनः विकसित कराने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय दृष्टिकोण से यह अलाभकारी योजना है अतएव झील को पुनः विकसित कराना प्रस्तावित नहीं है ।

44—डा0 बंगाली सिंह—

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जनपद मुरादाबाद को दिये गये धन एवं कार्य का विवरण

45—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन मुरादाबाद को वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 में कुल कितना धन आवंटित किया गया था और इन तीन वर्षों में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव हो सका ? रिटर्न बेसिस पर कितने ग्राम ऊर्जीकृत किए जा सके तथा कितनी हरिजन बस्तियों को बिजली दी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के अंतर्गत चल रही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के बारे में विस्तृत विवरण

46—श्री अफजाल अंसारी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल कितनी दुकानें हैं ? कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में इस नगर में यूनिटों की संख्या कितनी है और किन-किन दुकानों पर कितने-कितने यूनिट सम्बद्ध किये गये हैं ? दिसम्बर, 87 में इस नगर क्षेत्र में कुल कितनी दुकानें थी ? किन परिस्थितियों में किस बात को आधार मानकर नयी दुकानें बढ़ायी गयी हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद में इस समय कुल 15 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं । इस नगर में वर्तमान समय में 28,950 यूनिट हैं । दुकानों से सम्बद्ध यूनिट्स की सूची संलग्न है । दिसम्बर, 1987 में इस नगर क्षेत्र में कुल 16 दुकानें कार्यरत थी । दुकानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 49 पर)

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड भांवरकोल व मुहम्मदाबाद की न्याय पंचायतों में स्थायी व अस्थायी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या

47–श्री अफजाल अंसारी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड भांवरकोल व मुहम्मदाबाद की न्याय पंचायतों में से किन-किन में कितनी-कितनी स्थायी व अस्थायी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं ? किन-किन न्याय पंचायतों में कितने-कितने यूनिट उपलब्ध हैं ? क्या यह सही है कि बहुत सी न्याय पंचायतों में यूनिटों की सही संख्या अब तक जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ग्रामीण जिनका अब तक कार्ड नहीं बन पाया है वह इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो इसको ठीक करने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड भांवरकोल व मुहम्मदाबाद की न्याय पंचायतवार स्थायी व अस्थायी दुकानों तथा यूनिटों की सूची संलग्न है । न्याय पंचायतों के यूनिटों की सही संख्या जिला पूर्ति कार्यालय गाजीपुर में उपलब्ध है । ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों का वितरण समुचित रूप से कराया जा रहा है । जिन परिवारों के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये शासन द्वारा निर्देश पहले ही दे दिये गये हैं, जिनका अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 50 पर)

श्री ए0 के0 आफरीदी सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर के सेवा निवृति के बाद बकाया पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि के भुगतान में विलम्ब

48–श्री फजलुल बारी–

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री ए0 के0 आफरीदी, सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर 30 सितम्बर, 1981 को आगरा मण्डल से सेवा निवृत हुए और 6 साल बीतने के बाद भी उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्यूटी आदि नहीं मिल पायी ? यदि हां, तो इस विलम्ब का कारण क्या है और जिन अधिकारियों की उदासीनता से यह विलम्ब हुआ, उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर के कार्यालय से सेवा पुस्तिका देर से भेजे जाने के कारण विलम्ब हुआ । दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

49–श्री विष्णु देव–

[4थे बुधवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गयी याचिका पर उच्च न्यायालय के निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित न कराने पर शिकायत

50–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी संघ के वर्ष 1976 में याचिका नम्बर 7304 पर अपना निर्णय दिया था और 29-1-85 को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था एवं दिनांक 11-10-86 को चीफ स्टेन्डिंग कौंसिल को भी अवगत करा दिया था ? यदि हां, तो 20 नवम्बर, 87 तक सरकार द्वारा उक्त निर्णय को सरकारी गजट में प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त निर्णय को तुरन्त गजट में प्रकाशित कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा नहर सीतापुर के बड़ागांव रजबहा प्रस्तावित साइफन का निर्माण

51–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर में शारदा नहर के बड़ागांव रजबहा के मील 6 फर्लांग पर जो साइफन निर्माणाधीन है और ह्यूम पाइप तथा कुछ निर्माण सामग्री स्थल पर पड़ी है उसकी स्वीकृति कब हुई ? कब तक निर्माण पूर्ण होना था ? अब तक न बन पाने का क्या कारण है और कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बड़ा गांव रजबहा के मील 6 फर्लांग 0 पर साइफन के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है वरन् रजबहे के मील 6 फर्लांग 0 फिट 400 पर एक साइफन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । स्थल पर ह्यूम पाइप पहुंचा दिए गए हैं ।

इस साइफन के निर्माण हेतु प्रस्ताव बनाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सीतापुर को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है । साइफन का निर्माण कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सीतापुर से स्वीकृति प्राप्त होने पर आरम्भ किया जा सकेगा ।

निर्माण से संबंधित स्वीकृति एवं धन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सीतापुर से प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका है । कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति मिलने पर निर्भर करेगी ।

नगीना सहकारी कताई मिल नगीना, जिला बिजनौर में कतिपय निर्माणों पर हुए व्यय का विवरण

52—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगीना सहकारी कताई मिल, नगीना, जनपद बिजनौर में वर्ष 1987 के 24 अगस्त के बाद वेलफेयर सेन्ट्रल हाल का निर्माण, मिल की रगाई कार्डिंग विभाग के नवीनीकरण के नाम पर मशीनों का काम, ट्यूबवेल के पाइप बिछाने का कार्य, शीविंग विभाग की मशीनों का कार्य और मिल कालोनी स्टाफ कालोनी में मरम्मत का कार्य हुआ है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना भुगतान किया गया है ? क्या इन कार्यों के लिए टेन्डर डाला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी के निवासियों का विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र

53—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में गांव सभा गौहनियां, ब्लाक मया तथा गांव सभा प्रतापपुर चमुर्खा, ब्लाक कटेहरी के निवासियों के गांवों के विद्युतीकरण संबंधी प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 3-11-87 के पत्र के साथ जिलाधिकारी, फैजाबाद को मिल गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त दोनों गांवों के विद्युतीकरण का काम कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया जनपद के कतिपय विकास खण्डों में वर्ष 1986-87 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या

54—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में कितने गांवों का वर्ष 1986-87 तक पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से विद्युतीकरण किया गया तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण शेष है ? क्या सरकार अविलम्ब इस पिछड़े भाग के गांवों का विद्युतीकरण कराने पर विचार करने जा रही है ? यदि हां, तो सभी गांवों को बिजली कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा बेलामोहन में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हुए कार्य

55—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेलामोहन, जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सभी बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया है? इस गांव सभा में विद्युत कनेक्शन किये गये सवर्णों/हरिजनों के नामों की लिस्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों के लगाने एवं इनके रखरखाव में भूगर्भ जल सर्वेक्षण का सहयोग

56–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूपों के निर्माण एवं रखरखाव में भूगर्भ जल सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है और राजकीय नलकूपों के निर्माण के पूर्व सर्वेक्षण नहीं कराया जाता है? यदि हां, तो क्या यू0 पी0 स्टेट ट्यूबवेल एक्ट, 1936 में आवश्यक संशोधन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूपों के रखरखाव में भूगर्भ सर्वेक्षण के भू-वैज्ञानिकों के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकीय नलकूपों के निर्माण में ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां भूगर्भ पानी की उपलब्धता तथा उपयुक्तता संदिग्ध होती है भूगर्भ जल सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों की सलाह के लिए प्रकरण सन्दर्भित किये जाते हैं। प्रदेश में लगभग 24700 चलित राजकीय नलकूप सफलता पूर्वक कार्यरत हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां सफलतापूर्वक राजकीय नलकूप कार्यरत हैं, भूगर्भ जल के भूवैज्ञानिकों से पूर्व सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे संदिग्ध क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की कमी की संभावना होती है ऐसे मामलों में अनुवेषणात्मक छिद्रण किये जाते हैं जिनमें भूगर्भ वैज्ञानिकों का उपयोग किया जाता है। यू0 पी0 स्टेट ट्यूबवेल एक्ट 1936 में कोई कोई प्राविधान नहीं है कि नलकूपों के निर्माण में भूवैज्ञानिकों का उपयोग किया जाय अतएव उक्त एक्ट में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बुलन्दशहर में स्याना से भड़काऊ, अनूपशहर नगर की सड़क की मरम्मत

57–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में स्याना से मड़काऊ, अनूपशहर नहर की सड़क की मरम्मत करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अनूपशहर शाखा की सड़क के स्याना से भड़काऊ (मड़काऊ नहीं) भाग पर वर्ष 1984-85 व 1985-86 में मरम्मत कार्य कराये जा चुके हैं। वर्ष 1987-88 में मरम्मत का कार्य प्रस्तावित नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, बरेली, झांसी तथा मुरादाबाद मण्डलों के जिलों को भारत सरकार की सिंचाई एवं विश्व बैंक परियोजना से वंचित रखने के कारण की जानकारी

58—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल, मेरठ मण्डल, बरेली मण्डल, झांसी मण्डल, मुरादाबाद मण्डल आदि जनपदों को नलकूप निर्माण को प्रदत्त भारत सरकार की योजनायें इन्डोडच बाई लेटरल प्रोजेक्ट और विश्व बैंक परियोजना द्वितीय चरण में नलकूप निर्माण से वंचित रखने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विश्व बैंक परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत आगरा मण्डल में 200, मेरठ मण्डल में 175, बरेली मण्डल में 275, झांसी मण्डल में 150 तथा मुरादाबाद मण्डल में 125 नलकूपों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है तथा इण्डोडच बाई लेटरल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के पिछड़े 8 पूर्वी जनपदों में नलकूपों का निर्माण निदरलैण्ड सरकार की वांछना के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

कानपुर के नलकूप खण्ड में झींझक पाइप सेन्टर से निर्मित पाइपों की दशा और प्रयोग

59—श्री अचल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खण्ड कानपुर के अन्तर्गत झींझक पाइप सेन्टर पर निर्मित कितने सी0 सी0 पाइप इस समय सही दशा में हैं, कितने मूल्य के सी0 सी0 पाइप इस सेन्टर में आज तक बनाये गये, किन-किन राजकीय नलकूपों पर उक्त सेन्टर से निर्गत करके कितने सी0 सी0 पाइप लगाये गये? क्या इस पाइप सेन्टर पर निर्मित सी0 सी0 पाइप का भुगतान पाइपों में तकनीकी कमी होने के कारण रोका गया था? यदि हां, तो उक्त पाइपों का भुगतान किस अधिकारी की स्वीकृति लेकर किया गया? क्या तकनीकी दृष्टि से खराब निर्मित पाइपों के भुगतान हेतु स्वीकृति देने वाले एवं भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय झींझक पाइप सेंटर पर 8558.88 मीटर सी0 सी0 पाइप उपलब्ध हैं जो देखने में ठीक प्रतीत होते हैं।

रु0 2.879 लाख के सी0 सी0 पाइप इस सेंटर पर जनवरी, 88 तक बनाये गये थे।

राजकीय नलकूप सं0—1, 2, 3, 4, 7 अकबरपुर 10, 13, 14, 18, 8, 25, 26, 29 एवं 9 डेरापुर पर सी0 सी0 पाइप कुल 11,220 मीटर पाइप बिछाये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सर्वेश कुमार मिश्र की नियुक्ति के संबंध में संयुक्त निदेशक उद्योग मुख्यालय द्वारा संयुक्त निदेशक उद्योग आगरा मण्डल को लिखा गया पत्र

60—श्री अचल सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0 प्र0 की ओर से कोई पत्र संख्या 376(1)/3/ एवी जी-एनजी (मिल) दिनांक 24-4-87 श्री आर0 एस0 निगम, संयुक्त निदेशक उद्योग मुख्यालय द्वारा संयुक्त निदेशक, उद्योग, आगरा मण्डल, आगरा को श्री सर्वेश कुमार मिश्र की नियुक्ति हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्ति कर ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति विषयक श्री सर्वेश कुमार का आवेदन पत्र प्रश्नगत पत्र संख्या 376(1)/3/एवी जी-एनजी (मिस) दिनांक 24-4-87 द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त निदेशक उद्योग, आगरा मण्डल आगरा को औद्योगिक परामर्शदाता के लिए सृजित आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के संबंध में मात्र सहानुभूति पूर्वक विचार हेतु प्रेषित किया गया था।

जी नहीं।

उक्त पत्र श्री सर्वेश कुमार को नियुक्ति प्रदान करने के लिए आदेश के रूप में नहीं था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक परामर्शदाता के लिए सृजित आशुलिपिक का उक्त पद परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, बरेली के कार्यालय से सम्बद्ध है। अतएव आगरा में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

61—श्री अचल सिंह—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली के अन्तर्गत ग्राम न्योउरी, जलालपुर और बीधनपुर में किस सन् में विद्युतीकरण किया गया था और अब तक गांवों में कितने लोगों ने विद्युत कनेक्शन लिया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फतेहपुर के ग्राम नेवारी जलालपुर का विद्युतीकरण केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार दिनांक 9-7-75 को किया गया था। इस ग्राम का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम बीधनपुर में बकियापुर मजरे का विद्युतीकरण 31-3-1986 को किया गया था और अभी तक इस ग्राम में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया के बधौचघाट नामक स्थान पर 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उपगृह बनाये जाने की योजना

62—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद देवरिया के बधौचघाट नामक स्थान पर 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उप गृह के निर्माण की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारण क्या है ? शासन उसके निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि उक्त उपकेन्द्र हेतु समुचित एवं आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है । भूमि प्राप्त करने का प्रयास जारी है ।

यू0 पी0 मिल्क डेरी फेडरेशन के जनरल मैनेजर (प्रशासन) को दिये गये अधिकारों से कर्मचारियों में भारी असंतोष

63–श्री कनक सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 डेरी मिल्क फेडरेशन के वर्तमान जनरल मैनेजर (प्रका0) की नियुक्ति एवं उनको दिये गये अधिकारों से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भारी असन्तोष है और उक्त फेडरेशन के कर्मचारी संघ ने मार्च, 1987 से जुलाई, 1987 के मध्य कई ज्ञापन भी शासन को भेजे ? यदि हां, तो इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री राम आसरे वर्मा–

[उसे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बड़ौत जिला मेरठ रोडवेज का बस स्टैण्ड व कार्यशाला बनाये जाने के प्रस्ताव

65–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ौत, जिला मेरठ में रोडवेज का बस स्टैन्ड व कार्यशाला बनाये जाने पर शासन कोई विचार कर रहा है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उस पर कार्य प्रारम्भ कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बड़ौत जिला मेरठ में रोडवेज के डिपो कार्यशाला स्थापित किये जाने पर निर्णय निगम प्रशासन के द्वारा लिया जा चुका है, परन्तु भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यशाला के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना वर्तमान में संभव नहीं हो पा रहा है ।

जहां तक बड़ौत जिला मेरठ में रोडवेज के बस स्टैण्ड के निर्माण का सम्बन्ध है, वहां किराये के भवन में बस स्टेशन संचालित किया जा रहा है । अतः नये बस स्टैण्ड के निर्माण का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

मुरादाबाद जनपद के विकास खण्ड भगतपुर टांडा के कतिपय गांवों के बुनकरों के मोटर पर लगाया गया विद्युतकर

66–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद को वि0 खण्ड भगतपुर टांडा के ग्राम पीपलूसाना तथा टाउन भोजपुर बुनकरों पर उनके एक हा0 पा0 के मोटर पर दो हा0 पा0 का कर लगा दिया गया है जबकि शासन द्वारा एक हा0 पा0 पर कर लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो 2 हा0 पा0 का कर लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगीना सहकारी कताई मिल नगीना जनपद बिजनौर में ले आफ लगा होने के संबंध में जानकारी

67–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगीना सहकारी कताई मिल, नगीना, जनपद बिजनौर में 24 अगस्त, 87 से ले-आफ लगा है ? यदि हां, तो क्या इसकी पूर्व अनुमति श्रम विभाग से ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा ले आफ लगाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गुल शामिला एवं खाल शामिला में अन्तर और किसानों को राहत

68–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गूल शामिला और खाल शामिला में क्या अन्तर है ? यह इससे पीड़ित किसानों को राहत देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई नियमावली चतुर्थ संस्करण के परिच्छेद 135 के अनुसार नहर गूल में निजी संस्थान का जल मिलाकर सिंचाई संदिग्ध करने की दशा को गूल शामिला या शामिल बरहा कहा जाता है तथा नसेबी चकों में प्राकृतिक पानी और नहरी पानी को मिलाकर सिंचाई करना खाल शामिला सींच कहा जाता है ।

उक्त नियम में सभी सींच को नहरी सींच मानने का प्राविधान है ।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को गति देने वाली महत्वाकांक्षी योजनाएं

69–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में प्रदेश सरकार ने पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनायें बनायी हैं ? यदि हां, तो योजनाएं क्या-क्या हैं ? क्या इसके अन्तर्गत बरेली के लिए भी कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रसाद कुमार)–

जी हां । 1987 में प्रदेश सरकार ने पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए निम्नलिखित महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं :–

अ–मैदानी क्षेत्र :–

1–अयोध्या में राम कथा पार्क की स्थापना ।

2–ताज नेशनल पार्क का निर्माण ।

3–आगरा में कान्फ्रेन्स काम्पलेक्स की स्थापना ।

ग–पर्वतीय क्षेत्र :–

1–औली में शीतकालीन क्रीड़ा का विकास ।

2–जार्ज एवरेस्ट हाउस, मंसूरी का पर्यटन विकास ।

3–हल्द्वानी (नैनीताल) में 200 शैयाओं के पर्यटन काम्पलेक्स का निर्माण ।

बरेली हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित न होने के कारण स्वीकृत नहीं की गयी है ।

जनपद गाजीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद में उपलब्ध सिंचाई साधन और सर्वेक्षण

70–श्री अफजाल अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-7-87 जो जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के विषय में था, के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन न होने का उल्लेख किया गया था क्या उनका सर्वेक्षण कराया गया ? यदि हां तो कब तक उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य के पत्र में उल्लिखित ग्रामों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु परीक्षण कराया गया ।

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में पहले से 20 राजकीय नलकूप एवं 2 विश्व बैंक नलकूप कार्यरत हैं। तथा वीरपुर पम्प नहर का भी कमान्ड कुछ क्षेत्र में है । अतः इन क्षेत्रों में अन्य कोई सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

सिंचाई विभाग के राजवाहों के कटान की वजह से कृषकों से वसूल किये जाने वाली धनराशि को उन्हीं की मरम्मत में लगाने की मांग

71–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजवाहों के कटान की वजह से कृषकों को जो तावान की धनराशि देनी पड़ती है क्या वह सम्पूर्ण धनराशि उन्हीं राजवाहों के मरम्मत कराने में व्यय करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

राजवाहों के कटान से तावान के रूप में कृषकों से प्राप्त पूर्ण धनराशि उन्हीं राजवाहों की मरम्मत में व्यय किया जाना सम्भव नहीं है ।

तावान की वसूली जिलाधिकारी द्वारा राजस्व राजकीय लेखा शीर्षक के अंतर्गत की जाती है । नहरों की वार्षिक एवं कटिंग की मरम्मत के लिए शासन द्वारा अलग से धन उपलब्ध किया जाता है ।

72–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[4थे मंगलवार में अता0 सं0 121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ व गाजियाबाद में बसीनाला खुदाई और यमुना नदी में गिराने का प्रस्ताव

73—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ व गाजियाबाद में बसी-नाला खोदे जाने की स्वीकृति है ? यदि हां, तो अभी तक नाला न खोदे जाने का क्या कारण है तथा कब तक कार्य सम्पन्न हो जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, हां । बसी नाले के पानी को दिल्ली राज्य की सीमा में यमुना नदी में गिराने का प्रस्ताव है । यह नाला दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्मित तटवर्तीय बांध के पीछे बहेगा । नाले के पानी के यमुना नदी में निकास हेतु दिल्ली प्रशासन को अपने तटवर्तीय बांध में एक रेगुलेटर व यमुना नदी में बाढ़ का जल स्तर ऊंचा होने पर, बांध के पीछे एकत्रित पानी की निकासी हेतु एक पम्पिंग स्टेशन बनाना है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गठित यमुना समिति ने दिनांक 20-7-79 की बैठक में यह निर्णय लिया था कि जब तक दिल्ली प्रशासन द्वारा पम्पिंग स्टेशन व रेगुलेटर का निर्माण नहीं करा दिया जाता तब तक बसी नाले का निर्माण न कराया जाए अतः जब तक दिल्ली प्रशासन द्वारा उपरोक्त कार्य कराकर यमुना समिति को सूचित नहीं कर दिया जाता और यमुना समिति की अनुमति नहीं प्राप्त होती, तब तक नाले का निर्माण प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है ।

मेरठ जनपद में गंगा और जमुना कैनाल से सिंचाई और सिंचाई कर

74—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के अंतर्गत गंगा कैनाल महीने में तीन हफ्ते चलती है और जमुना कैनाल महीने में एक हफ्ते भी नहीं चलती है ? यदि हां, तो सिंचाई कर बराबर वसूल करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेरठ जनपद में ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के विभिन्न राजबहे व माइनरें वर्ष 1987-88 में खरीफ के दौरान महीने में सामान्यतः तीन सप्ताह तक चलीं लेकिन रबी में एक से दो सप्ताह तक चलीं । इस जनपद में पूर्वी यमुना नहर के विभिन्न राजबहे व माइनरें वर्ष 1987-88 की खरीफ में माह में एक से तीन सप्ताह तक चली और रबी में एक से दो सप्ताह तक चली ।

नहरों द्वारा प्रति फसल पर प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई कर किया जाता है ।

पर्वतीय जनपदों में स्थित चाय बागानों को चाय निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंस

75—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपद में स्थित चाय बागानों में से किन-किन बागानों के पास भारत सरकार के चाय बोर्ड के लाइसेंस हैं? जिन उद्योगों के पास यह लाइसेंस नहीं है उन्हें किस विधान के अनुसार चाय निर्माण बिक्री की अनुमति दी जाती रही है, इस हेतु राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 31 चाय बागान भारत सरकार के टी बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। चाय बगानों को अपने यहां उत्पादित हरी चाय की बिक्री के लिये टी बोर्ड से किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0 2 पुकारे जाने पर कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से नारे लगाने लगे, तत्पश्चात् श्री विजय सिंह राणा, श्री भोपाल सिंह, श्री शारदा नंद अंचल आदि अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे जिससे अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12.20 तक के लिए स्थगित कर दी ।)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था के प्रश्न पर पुनः खड़े होकर बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष–

वह मैं अभी सुनूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप हमारी बात सुनिये ।

आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद में टोंस नदी पर लगा बैरियर तथा पथकर वसूली समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी आपकी व्यवस्था सुन रहा हूं।..(व्यवधान) 301 की जो सूचनायें हैं, पहले मैं उनको ले रहा हूं।...(घोर व्यवधान के मध्य) आज नियम 301 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 7 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं।...(व्यवधान)। यह सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जांय ?

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गईं।)

श्री राम बदन एडवोकेट–

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं

आजमगढ़ जनपद में मुहम्मदाबाद टोंस नदी पर सन् 1980 में सा0 नि0 वि0 आजमगढ़ द्वारा पुल बनाकर तैयार किया गया, प्रारम्भ से ही बैरियर जमाकर पथकर

नोट:–[] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की वसूली नीलामी के माध्यम से पट्टा पर देकर की जा रही है। शुरू से ही एक ही परिवार के सदस्य मुनेन्द्र नाथ उपाध्याय जनपद-गाजीपुर को नीलामी दी जाती है और उक्त ठेकेदार एकाधिकार समझकर पी0डब्लू0डी0 की रसीद न देकर अपने नाम की रसीद देकर मनमाने पथकर वसूली करता है। विरोध करने पर ठेकेदार के कर्मचारी गुन्डयी पर उतारू हो जाते हैं और मुकामी पुलिस को मिलाकर जाल फरेब रचकर मुकदमा भी आर्म जनता पर करवा देते हैं, दिन में तो ठेकेदार के कर्मचारी फर्जी पर्ची देकर धाधंली से वसूली करते हैं लेकिन रात में ट्रक, जीप, बस मालिकों से फर्जी पुलिस वेष में होकर मनमानी वसूली करते हैं। 7-1-85 से 6-1-88 तक की नीलामी सालाना साढ़े सत्तानवे हजार रुपये पर अधिकारियों को अपने प्रभाव में करके उक्त ठेकेदार दुबारा ले लिया है ।

वसूली की रवैया तथा धाधंली से जनता में आक्रोश व्याप्त है, आम जनता ने तहसील जनपद, मण्डल प्रदेश एवं देश स्तर के उच्च अधिकारियों को बैरियर एवं पथकर वसूली समाप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन जनहित में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फर्जी वसूली एवं अशोभनीय व्यवहार से दुखी होकर आम जनता ने दिनांक 30-1-88, 9-2-88 तथा 19-2-88 को आम सभायें आयोजित की एवं चक्का जाम भी किया। प्रशासन की अनुसुनी की वजह से जनपद के समस्त विधायकगण एवं संसद सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी, को पत्र प्रस्तुत किया है यह विषय लोकहित का है, इसलिए आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद टौंस नदी पर लगा बैरियर तथा पथकर वसूली समाप्त कराने की महती कृपा करें]

जनपद लखनऊ के नयागांव (अमीनाबाद) स्थित तेजाब के कारखाने को हटाने एवं मालिक दंडित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[मान्यवर, नयागांव (पूर्व) स्थित मकान नं0 60, थाना-अमीनाबाद, लखनऊ में एक तेजाब का कारखाना है, जिसे हरीकिशन, राज कुमार, अशोक कुमार चलाते हैं । उक्त कारखाने में अक्सर तेजाब की बोतलें प्लास्टिक की टंकियां टूटा करती हैं, जिससे कारखाने के मजदूर घायल हुआ करते हैं और चिल्लाते-बिलखते हुए भागते हैं। उक्त कारखाने से जब तेजाब की बोतलें टंकियां बाहर निकले जाती हैं, तो खड़खड़े पर रखने में कुछ बोतलें टंकियां टूट जाती हैं, जिससे गलियां एवं सड़क पर तेजाब फैल जाता है, खड़खड़े वाला घोड़ा घायल होकर गिर जाता है और मर जाता है, आने-जाने वाले व्यक्तियों के पैर जल जाते हैं, उधर से निकलने वाले स्कूटर, साईकिल के टायर जल जाते हैं. गैस मोहल्ले में भर जाती है, नालियां तेजाब से भर जाती हैं, दुर्गंध फैल जाती है, जिससे मोहल्ले वाले बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उक्त कारखाने के मालिक हरीकिशन की पत्नी स्वयं इसी कारण से बीमार पड़ी हैं, जिनको चलना-फिरना मुश्किल हो गया है । मोहल्ले के लोगों में भारी असंतोष एवं रोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही करके उक्त तेजाब के कारखाने को वहां से तत्काल हटाया जाय और कारखाने के मालिक को दंडित किया जाय।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सचिवालय में सम्बद्ध कर दिए जाने से फील्ड स्तर पर जनकल्याण की योजनाओं पर कुठाराघात के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*चौधरी श्याम लाल–

[महोदय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में सचिवालय स्तर पर निदेशालय के महत्वपूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मनमाने ढंग से सम्बद्ध कर दिया गया है और उनसे सचिवालय की पत्रावलियां अनियमित रूप से डील करायी जा रही हैं। दूसरी ओर विभागाध्यक्ष स्तर पर इन अधिकारियों के न रहने से जनपदों में योजनाओं का कार्य ठप हो गया है और उन पर नियंत्रण समाप्त हो गया है प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श के बावजूद सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर, आई0 सी0 डी0 एस0, अनुसूचित जाति, जन जाति शोध संस्थान के अन्वेषक/अधिकारी को सचिवालय से सम्बद्ध कर लिया गया। इसी प्रकार निदेशालय के विशेष कार्याधिकारी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लाण्ट को वर्षों से सचिवालय में बिठाकर कार्य लिया जा रहा है जबकि सचिवालय स्तर पर इस कार्य के लिए अनुसूचिव को अन्य कार्य से सम्बद्ध कर दिया गया है। दूसरी ओर अपर निदेशक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीनस्थ कार्यरत ए0डी0ओ0 (हरिजन कल्याण), सहायक विकास अधिकारियों तथा ग्राम्य विकास अधिकारियों के लगभग 1500 कर्मचारियों के कार्यों पर कोई अधिकारी नहीं है और इस शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान कार्य नितान्त अनियमित रूप से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा देखा जा रहा है।

चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 अब समाप्ति पर है इसलिए अपरिहार्य है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित निदेशालयों को वापस करने का आदेश तत्काल दिया जाय, ताकि सूखे की भीषण परिस्थितियों में निर्बल वर्ग तथा हरिजनों को राहत मिल सकें। भविष्य में ऐसा न हो इसकी व्यवस्था भी की जाय।]

जनपद अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के जी0 पी0 एफ0 में हेराफेरी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर–

[महोदय, जनपद अलीगढ़ बेसिक शिक्षा परिषद् नगर अलीगढ़ के 200 अध्यापकों की भविष्य निधि से लाखों रुपया के करीब गत तीन वर्षों में फर्जी हस्ताक्षरों से धनराशि निकाल ली गई है। जिसके लिए अलीगढ़ से लखनऊ तक लिखा पढ़ी शासन और प्रशासन को की गई एक बार मैंने भी मा0 मुख्य मंत्री जी को लिखा है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई इससे बड़ी सरकार की असफलता और क्या हो सकती है। जिसके कारण अध्यापकों एवं जनता में जन-असन्तोष व्याप्त है। सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब उच्चस्तरीय जांच कराकर विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आदेश दिया जाय।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव की ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों में घोटाला के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायन दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे गये कार्यों में वित्तीय वर्ष के अन्त होने तक भी 40 फीसदी भी काम नहीं हुआ है। सा0 नि0 वि0 के द्वारा पुरवा–भूपतिपुर, उद दऊ दरसवा–असावर, दरहेटा-टोपरा आदि मार्गों पर मजदूरी का भुगतान फर्जी मस्टर रोल बनाकर किया गया है शासन द्वारा घोषित 13.50 पैसे प्रतिदिन की मजदूरी कहीं नहीं दी गयी है। सा0 नि0 वि0 ने एन0 आर0 ई0 पी0 के0 मौरावां बेरा मार्ग एम0 एम0 यू0 मार्ग मुसन्डी मार्ग जैसी लाखों रुपये की योजनाओं पर अभी तक काम ही प्रारम्भ नहीं किया इससे भीषण सूखे के समय हजारों श्रम दिवसों का सृजन रुका है। इसी प्रकार जोरावर गंज मार्ग को भी छोड़ दिया गया है।

पुरवा मिरीं कला बनी रोड पर डाले गये पत्थर कूटे ही नहीं गये हैं। जिससे मार्ग अवरोध है मैंने व सम्बन्धित अभियन्ताओं ने निरीक्षण किया कि लूट हुई है विकास कार्यों की उपेक्षा और सार्वजनिक धन की लूट जैसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को आदरणीय सदन की संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा जनपद के खन्दौली स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्रभान मौर्य–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर केन्द्रित करना चाहता हूं। जनपद आगरा के खन्दौली कस्बा के नाम से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन कस्बा से डेढ़ कि0 मी0 दूर मथुरा जनपद की अंतिम सीमा पर एकदम बीहड़ में बनाया गया है जिसके कारण खन्दौली कस्बा तथा विकास खण्ड की जनता के लिए नितान्त अनुपयोगी है। यहां डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां तो हो चुकी हैं किन्तु शासन की लापरवाही के कारण इस केन्द्र पर न तो डाक्टर तथा कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं और न उपचार से संबंधित उपकरण व अन्य साज सामान व दवाओं की उचित व्यवस्था ही है। जिसके कारण कस्बा तथा ग्रामीण जनता में उपरोक्त दुर्व्यवस्था के कारण भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस केन्द्र पर डाक्टरों के स्थायी आवास, एक्सरे मशीन अन्य उपचार उपकरण तथा दवाइयों की समुचित व्यवस्था अविलम्ब कराकर जनता को राहत पहुंचाई जाय।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस्ती जनपद में पुलिस विभाग की सांठगांठ से तस्करों द्वारा विदेशी सामानों की बिक्री आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पांडेय–

[मान्यवर, बस्ती जनपद में इस समय नेपाल के रास्ते से चीनी, सामान व अन्य विदेशी वस्तुयें धड़ल्ले से स्मगलिंग करके तस्कर लाते हैं तथा भारत के विभिन्न स्थलों में बिना रोक टोक पहुंचाते हैं। उनके इस कार्य में बस्ती जनपद की ढेबरुआ व इटवा की पुलिस तथा कस्टम अधिकारी व कर्मचारी खुलेआम सहयोग दे रहे हैं। तस्कर विदेशी अस्त्रों से लैस होकर इटवा के बाजारों में खुले आम घूमते हैं तथा रात्रि में भारी मात्रा में सामान ट्रकों व वी0 आई0 पी0 कारों में इटवा बेलवा मार्ग व इटवा बिस्कोहर मार्गों पर रात्रि 8 बजे से लेकर 3 बजे तक पैदल आदमियों द्वारा लाये गये सामान को लादते हैं और दिल्ली व अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। इस घटना के बारे में जब स्थानीय लोगों ने इटवा पुलिस का ध्यान आकृष्ट किया तो पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि इस समय भारी पैमाने पर चीनी अस्त्र शस्त्र लाया जा रहा है जो दिल्ली व पंजाब के अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। पिछले एक वर्ष में इटवा, ढेबरुआ थानों के अन्तर्गत लगभग 20 ब्लाइन्ड मर्डर हो चुके हैं। तस्करों ने कहीं कहीं पुलिस पर फायरिंग भी की है। इन सभी घटनाओं से स्थानीय जनता में क्षोभ व्याप्त है।

सरकार से आग्रह है कि पुलिस मुख्यालय से उच्चाधिकारी भेजकर सम्पूर्ण तथ्यों की छानबीन कराकर तस्करी रोकने का तथा इटवा व ढेबरुआ के पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को उनके इस कृत्य में सहयोग करने के लिए दंडित करें।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है जो अस्वीकृत हुई।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों का एक साथ सदन के वेल में आकर डायस पर जाने का प्रयास करने से सदन में घोर व्यवधान)

श्री अक्षयवर मल्ल की हत्या विषयक दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, कार्य स्थगन का प्रस्ताव हमने पेश किया था और यह इतना गम्भीर मामला है कि उत्तर प्रदेश के एक नेता अक्षयवर मल्ल की पुलिस द्वारा हत्या करना। जिन अधिकारियों ने हत्या करने में साजिश की है उसको मैं दुहराना नहीं चाहता। यह मुख्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्री से सम्बन्धित बात है। इस गम्भीर प्रश्न पर हम विरोध पक्ष के लोग बोलना चाहते हैं। मुख्य मंत्री को पहले यहां बुलाइये जिससे यह बात साफ हो सके, सदन कोई निर्णय ले सके। यह हमारी प्रार्थना है। जिन अधिकारियों ने माननीय राम गोविन्द चौधरी को अपमानित किया था, उनके घर का ताला तोड़ा था, चोरी की थी और उस समय जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था, माननीय गृह मंत्री से सम्बन्धित था। माननीय सभी नेताओं के समक्ष उन्होंने स्वीकार किया था किन्तु उसके बाद मुख्य मंत्री ने उन अधिकारियों का स्थानान्तरण रोक दिया। उन्हीं अधिकारियों ने साजिश करके अक्षयवर मल की हत्या की है। इसलिए मुख्य मंत्री का यहां पर होना आवश्यक है। जब तक वे नहीं आयेंगे, बहस होने का कोई औचित्य नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह आरोप सरासर गलत है. . . (व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर होकर एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो हो गया) ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य स्थगन प्रस्ताव मैं ले रहा हूं। आप बैठें। (व्यवधान)

आप लोग आसन ग्रहण करें इसको मैं ले रहा हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

जो कार्यस्थगन के प्रस्ताव आये हैं उसमें मल्ल साहब का भी है।

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देवेन्द्र पांडेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, यह सदन नहीं चल पा रहा है। कल से नहीं चल पा रहा है। हमारे विरोध पक्ष के लोग यह नहीं चाहते हैं कि सदन न चले। हम चाहते हैं कि सदन चले। इसके लिये जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय कल्यान सिंह जी ने उठाया था, आपको जानकारी होगी कि मुख्य मंत्री जी आज भी दिल्ली में बैठक में हैं, दिन में चल रही है रात में चल रही है। दिन में तो पार्लियामेंट चलती है। कल भी शाम को चल रही थी, आज भी शाम को है। अगर मुख्य मंत्री चाहते तो कोई कारण नहीं था कि वे यहां पर मौजूद नहीं हो सकते थे और हमारी जो भावनायें थी, जो कष्ट था वे उसको न सुन लेते। लेकिन मान्यवर, वे जानबूझकर हठवादिता के कारण कल नहीं आये और आज भी मीटिंग में हैं। मान्यवर, विरोध पक्ष की ओर से हमारी कुछ मांगें हैं। लोक दल (ब) के मान्यवर, नगर अध्यक्ष मारे गये क्रूरता से मारे गये, इस प्रदर्शन में बहुत कम लोग थे इसमें इतना बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके मरने के बाद भी सत्ता पक्ष का कुछ कर्तव्य होता है, पूरे दिन सदन नहीं

चला और आज भी ... हमारा मसला है वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, आज भी हमारी मांग ज्यों की त्यों है। इस विषय पर कल से लेकर आज तक सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। हमसे बैठ कर बात की जाती, जो हमारी मांगें हैं उनको मान लिया जाता तो शायद कोई रास्ता निकल आता जिससे सदन चल सके। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारे हितों के रक्षक आप हैं। अगर सत्ता पक्ष हमारी बात मदांध होकर नहीं सुनना चाहता है तो आपको सुनना चाहिए । सत्ता पक्ष और विपक्ष को बैठा कर बात कराते। लेकिन कल से लेकर आज तक सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है।

हमारी मांग क्या होगी यह सुनना चाहिए हमारी मांग जायज होगी, जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ा जाय, उनको जेल भेजा जाय, दोषी लोगों को सस्पेंड किया जाय, उनको हटाया जाय। तो हमारी इन जायज मांगों को (व्यवधान) सुनना नहीं चाहते, हम लोगों को बुलाना तो दूर रहा। किसी गलत नियत से नहीं कह रहा हूं आपने भी उपेक्षा वर्ती, चैयर ने उपेक्षा की। आपको दोनों को बुलाना चाहिए था। सत्ता पक्ष अपनी जिद पर अड़ा है, आपकी तरफ से भी कर्तव्य का निर्वहन नहीं हुआ जिसके कारण यह सारा हो रहा है आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया।

(व्यवधान के मध्य)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर एवं संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर) पहले उनकी बात सुन लूं उसके बाद आपको बुलवा दूंगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों का एक साथ खड़े होकर नारे लगाने से व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, अगर यह हमारी बात सुन नहीं सकते तो हम भी उनकी बात न सुनने के लिए मजबूर होंगे। कल सवेरे आपके कक्ष में एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें माननीय नेता विरोधी दल और सारे लोग मौजूद थे। सत्ता पक्ष की तरफ से उस प्रस्ताव का कोई विरोध नहीं किया गया जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी ने यहां पर रखा था। हमने बड़े धैर्य से सबकी बात सुनने के लिए वातावरण बनाया और वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो नियम है उसके अंदर अगर कोई अपनी बात कहता है तो कहने दिया जाय। सदन को कौन नहीं चलने देना चाहता है (आप सही जानते हैं) जनतंत्र से विश्वास नहीं उठना चाहिए। यह लोग सदन को नहीं चलाना चाहते हैं, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं लगती है क्योंकि इनका विश्वास प्रजातंत्र से हट गया है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रह गया है।

(व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़ कर श्री अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे तथा जोर-जोर से नारे लगाने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(श्री उपाध्यक्ष ने 12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही दो बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी। तत्पश्चात् 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(सदस्यों के खड़े होकर सदन में मुख्य मंत्री को बुलाने की मांग करने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुख्य मंत्री जी नहीं आयें तो आपके आने का क्या मतलब है। (व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 56 के अंतर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री मुलायम सिंह यादव आदि की श्री अक्षयवर मल्ल की मृत्यु विषयक सूचना को 7 तारीख को लिया जायेगा। शेष नियम 56 की सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

अब हम उठते हैं और 7 मार्च, 1988 को 11 बजे (पूर्वाह्न) पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 02 मिनट पर सोमवार 7 मार्च, 1988 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाण चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
2 मार्च, 1988

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित श्री अफजाल अंसारी के अतारांकित प्रश्न संख्या–46 से सम्बन्धित सूची।

नगरपालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों तथा उससे सम्बद्ध यूनिट्स का विवरण।

क्र0सं0	नाम दुकानदार	सम्बद्ध यूनिट
1	श्री श्री सिह यादव, तदर्थ	1654
2	श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता, तदर्थ	1360
3	श्री हिरेन्द्र पाण्डेय, तदर्थ/विकलांग	1378
4	श्री एकरामुल्लाह खां, तदर्थ	1393
5	श्री मुनेश्वर प्रसाद हरि प्रसाद	1654 1/2
6	श्री घनश्याम दास अग्रवाल	1669
7	श्री मु0 असलम	1667
8	श्री रियाज अहमद खां	1480
9	श्री सैय्यद अली	1470
10	श्री खालिद रायनी	1490
11	श्री विठ्ठल दास अग्रवाल	1474
12	श्री रणछोर दास	1474
13	श्री त्रिभुवन दास अग्रवाल	1371 1/2
14	श्री सुरेशराम शर्मा	1400
15	श्री तनबीर मुहम्मद खां	1415

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0—47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या—47 के उत्तर से सम्बन्धित सूची ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड भांवरकोल व मुहम्मदाबाद की न्याय-पंचायतवार स्थायी व अस्थायी दुकानों तथा यूनिटों का विवरण ।

नाम ब्लाक	न्याय पंचायत का नाम	न्याय पंचायत में दूकानों की स्थिति		न्याय पंचायत की यूनिट
		स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5
भांवरकोल	1—वीरपुर	3	2	15448
	2—शेरपुर	5	4	22500
	3—मनिया	2	1	12320
	4—सुखदेहरा	3	1	13440
	5—जसदेपुर	2	1	9712
	6—गोडउर	4	4	19535
	7—सियाड़ी	2	..	7768
	8—अवथही	2	..	9832
	9—लउआडीह	3	..	10,000
	10—खड़डिहा	2	1	8184
	11—अमरूपुर	2	..	7592
मुहम्मदाबाद	12—फिरोजपुर	3	..	10154
	13—सुल्तानपुर	5	..	15804
	14—तिवारीपुर	2	1	8888
	15—परसा	3	2	10240
	16—राजापुर	3	..	11704
	17—मौना	2	..	9430
	18—कुण्डेसर	5	..	19080
	19—फकराबाद	1	..	7000
	20—बालापुर	4	1	14880
	21—सुखपुरा	2	1	10912
	22—नोनहरा	5	1	14200
	23—दौलताबाद	2	..	9680
	24—बैरान	2	..	8064

पी0एस0यू0पी0—एल0 2 वि0सभा (2)—1988—813 ।